हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 सितम्बर, 2002

(प्रथम बैठक)

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
वाक आऊट	(2)16
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2)16
नियम 45(i) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)25
विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापस लेने के लिए अनुरोध करना	(2)28
वाक आऊट	(2)29
विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापस लेने के लिए अनुरोध करना (पुनरारम्भ)	(2)29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	(2)31
सहकारी तथा निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों की अदायगी न करने संबंधी	(2)31

मूल्य : 50

	पृष्ठ संख्या
वक्तव्य—	(2)32
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी कृषि मंत्री द्वारा	(2)32
विवेक उच्च विद्यालय, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का स्वागत	(2)38
वक्तव्य—	
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ) कृषि मंत्री द्वारा	(2)38
वाक आऊट्स	(2)40
वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना	(2)41
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2)41
वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(2)41
वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के अनुदानों और विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना।	(2)42

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2002

(प्रथम बैठक)

हरियाणा विधान सभा की बैठक, विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज अब प्रश्न होंगे। श्री नफे सिंह राठी जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने हमारे एक मैम्बर को बाहर भेज दिया है वह मैम्बर अपने प्रश्न पूछना चाहता हो तो आप उसको सदन में बुलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : उसको मैंने नहीं भेजा उसके अपने कंडक्ट ने उसको बाहर भेजा है । यह मामला आप जीरो आवर में उठाना । अभी प्रश्न काल का समय है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान) नफे सिंह राठी जी, आप अपना प्रश्न पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने दो कालिंग अटैंशन मोशन दी थीं, आप यह बताएं कि आपने वे मंजूर की हैं या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) अभी क्वैश्चन आवर है। आप जीरो आवर में बात करना। (शोर एवं व्यवधान)

Report of the Enquiry Commission

***1139. Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that an Enquiry Commission was constituted to enquire into the incidents of police firing in Police Station, Bahadurgarh, district Jhajjar and in Pashupati Factory, district Rewari ; and

(b) if so, whether the report of the said Commission has been received by the Government togetherwith the action taken thereon ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी है।

[श्री रामपाल माजरा]

सूचना

(ख) राज्य सरकार को पशुपति फैक्टरी, धारूहेड़ा, जिला रिवाड़ी की दिनांक 30-6-2000 तथा पुलिस थाना शहर, बहादुरगढ़ में पुलिस फायरिंग की घटना बारे जांच आयोग की रिपोर्ट दिनांक 11-12-99 को प्राप्त हो चुकी है। आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही की सूचना सदन के पटल पर 5-9-2000 को रख दी गई थीं।

जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :-

बहादुरगढ़ (जिला झज्जर) के पुलिस थाना में फायरिंग बारे

1. पुलिस फायरिंग में मारे गए स्वर्गीय जयपाल की विधवा को एक लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए और उपायुक्त झज्जर के कार्यालय में सेवादार के पद पर नौकरी भी दी जा चुकी है। श्री शिव लाल निवासी जिला सीकर, राजस्थान, (मृतक अशोक कुमार का कानूनी उत्तराधिकारी) को एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता भेजी गई है। श्री अशोक कुमार की बहन को नौकरी उसके नाबालिग होने के कारण नहीं दी जा सकी।

2. श्री अनिल कुमार, पूर्व उ0पु0अ0 बहादुरगढ़ को मामले में ठीक प्रकार से अनुसंधान की देख रेख न करने और लापरवाही के लिए नियम 8 आल इंडिया सर्विस (डी0 तथा ए0) नियम 1969 के अन्तर्गत बड़ी सजा हेतु चार्जशीट जारी की गई है। महानिरीक्षक पुलिस, गुड़गांव मंडल को आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सम्बन्धित मामले में जांच ठीक प्रकार से अनुसंधान की देख रेख न करने और बेकसूर को झूठे मुकदमे में फसाने हेतु श्रीमती कला रामचन्द्रन, पूर्व सहायक पुलिस अधीक्षक, बहादुरगढ़ तथा श्री राज कुमार, पूर्व उप0 पु0 अधीक्षक बहादुरगढ़ से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

3. उप0 नि0 सज्जन कुमार, पूर्व थाना प्रबन्धक, शहर बहादुरगढ़ और स0उ0नि0 सत नारायण, पूर्व जांच अधिकारी बहादुरगढ़ को एक बेकसूर आदमी को गिरफ्तार करने हेतु चार्जशीट जारी की गई थी जो जांच पूरी होने पर उन दोनों की एक-एक सालाना वेतन वृद्धि पक्के तौर पर बन्द करने की सजा दी गई है। उ0नि0 अशोक कुमार, (अब निरीक्षक) पूर्व थाना प्रबन्धक बहादुरगढ़ के विरुद्ध भी उक्त चार्ज हेतु विभागीय जांच आरम्भ की गई थी जो डिफैंस स्टेज पर लम्बित है।

4. उप0 नि0 रघबीर सिंह, पूर्व थाना प्रबन्धक शहर बहादुरगढ़ और चार सिपाहियों को फायरिंग के दिन लापरवाही के लिए एक नियमित विभागीय जांच शुरू की गई थी लेकिन उनके विरूद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सके और विभागीय जांच दाखिल कार्यालय कर दी गई है श्री सुख लाल, पूर्व उप0 पु0अ0 बहादुरगढ़ दिनांक 31-3-99 को सेवानिवृत्त हो चुका है इसलिए उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

5. लड़कियों को मारने के मामलों में अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु 50,000/- रुपए दी गई ईनाम की राशि दिल्ली पुलिस से वापस ले ली गई है जो राज्य के सरकारी खजाना में जमा हो चुकी है। इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस के कसूरवार कर्मचारियों के विरुद्ध विजिलैंस जांच भी शुरु करवाई गई है।

जिला रिवाड़ी धारूहेड़ा की पशुपति फैक्टरी में फायरिंग

1. पुलिस फायरिंग में मारे गए चार लोगों में प्रत्येक को दो-दो लाख रुपए दिए जा चुके हैं तथा 24 घायल आदमियों को 3,27,000/- बतौर हर्जाना दिया गया है। चार मारे गए लोगों में से तीन के परिवारों को पशुपति मिल धारूहेड़ा की तरफ से एक एक आदमी को नौकरी दी गई है।

2. श्री शाम लाल रेडियोग्राफर, जगदीश लाल बहल, अधीक्षक जो कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, को बड़ी सजा हेतु नियम-7 हरियाणा सिविल सेवाएं (पी0 एण्ड ए0) नियम 1987 के अन्तर्गत चार्जशीट किया गया है। श्री शेर सिंह, लिपिक स्वास्थ्य विभाग को भी नियम-7 हरियाणा सिविल सेवाएं (पी0 एण्ड ए0) नियम 1987 के अन्तर्गत चार्जशीट करने का निर्णय लिया है।

3. श्रम आयुक्त हरियाणा ने अपने सभी उप श्रम आयुक्त व श्रम एवं सुलह अधिकरियों को श्रम अशान्ति के मुद्दों को सूझबूझ व शान्तिपूर्वक निपटाने हेतु हिदायतें जारी की गई हैं।

4. श्री रूप सिंह, एच0सी0एस0, पूर्व एस0डी0एम0 रिवाड़ी, श्री सोहन लाल, पूर्व पु0अ0 रिवाड़ी और पुलिस के दूसरे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चौ0 नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बेबी किलर कांड 20-9-1995 को शुरू हुए थे और उसमें 8 और 9 साल की एक दर्जन से ज्यादा बच्चियां मारी गयी थीं। कांग्रेस के राज में ये सारे घृणित कार्य हुए थे और 4-5 बच्चियां चौधरी बंसी लाल जी के राज में मारी गई थी । केवल कुछ अधिकारियों के खिलाफ केवल एक इन्क्रीमैंट बन्द करने की सजा दी गई है। स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी या नहीं ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यह हादसा बेबी किलर कांड को लेकर हुआ था। अंत में जब कोमल नाम लड़की का अपहरण हो गया तब बहादुरगढ़ की जनता इस बात पर आक्रोश जता रही थी और वहां पर फायरिंग हुई थी। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि उसकी जांच के लिए एक कौल कमिशन बिठाया गया था और उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कार्यवाही हुई थी। जो दोषी अधिकारी थे, जिन्होंने बेबी किलर कांड पर पर्दा डालने के लिए 3 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उनको गिरफ्तार करने के बाद जो चौथी गिरफ्तारी हुई थी वह सही हुई थी। इस रिपोर्ट में पुलिस की असफलता थी कि वे मामले की गहराई तक नहीं पहुंची और बेबी किलर कांड में जिन लोगों को चिन्हित किया गया और जिन्होंने गलत कार्यवाही की थी उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है । अध्यक्ष महोदय, कौल कमिशन की रिपोर्ट पर ही कार्यवाही की गई है। अध्यक्ष महोदय, उन्हीं के आदेश के अनुसार जयपाल रेड्डी की विधवा को उपायुक्त के ऑफिस में नौकरी दी गई थी और मुख्यमंत्री कोष से एक लाख रुपया दिया गया था। इसी प्रकार अनिल कुमार डी.एस.पी. को सर्विस रूल 8 के तहत चार्जशीट किया गया। कला राम चन्द्रन तत्कालीन ए0एस0पी0 बहादुरगढ़ और राम कुमार तत्कालीन डी0एस0पी0 बहादुरगढ़ का स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनका स्पष्टीकरण आना बाकी है। सज्जन कुमार तत्कालीन एस0एच0ओ0 बहादुरगढ़ तथा सत्यनारायण बहादुरगढ़ को गलत आदमी की गिरफ्तारी के कारण चार्जशीट किया गया है। अशोक कुमार तत्कालीन एस0एच0ओ0 बहादुरगढ़ के खिलाफ

[श्री रामपाल माजरा]

विभागीय कार्यवाही चल रही है। इसी प्रकार माननीय साथी ने कहा है कि यह कार्यवाही थोड़ी है । स्पीकर सर, क्वासी ज्यूडिशियल प्रक्रिया होती है जिसके बारे में सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है। फिर भी हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत) : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पशुपति फैक्टरी के मामले का क्या हुआ । वहां पर भी पांच आदमियों को गोलियों से भूना गया था । इसके बारे में भी मन्त्री महोदय अपने मेन जवाब में बता दें । (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, इसमें जो सप्लीमैंट्री किया गया है वह बहादुरगढ़ के मामले को ही लेकर किया गया है।

श्री रामबीर सिंह : स्पीकर सर, पशुपति फैक्ट्री धारूहेड़ा में जो चार मजदूर पुलिस फायरिंग में मारे गए थे उसका मुख्य कारण यह था कि तत्कालीन बंसीलाल जी की सरकार की शह के ऊपर जो फैक्ट्री के मालिक थे, प्रबन्धक थे उन्होंने अपनी मर्जी की यूनियन को फैक्ट्री में बिठाने की कोशिश की थी इसलिए यह विवाद पैदा हुआ। जब शान्तिप्रिय मजदूर वहां पर धरना दे रहे थे तो पुलिस ने उन पर गोलीबारी की । स्पीकर सर, कौल कमीशन की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुलिस की जो गोलीबारी थी या जो बल प्रयोग था वह जरूरी नहीं था। मैं आपके माध्यम से माननीय सी0पी0एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि जब कौल कमीशन की रिपोर्ट यह कह रही थी कि बल प्रयोग जरुरी नहीं था और इस बल प्रयोग में तत्कालीन प्रशासन की और पुलिस की अपाराधिकता की बू आती है तो अब कौल कमीशन की इस रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह सही है कि जो कौल कमीशन की रिपोर्ट आयी उसमें यह बात उजागर की गयी है कि वहां पर पुलिस ने जो कार्यवाही की थी, वह गलत थी। इस पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक उनको दो-दो लाख रूपया दिया गया तथा चार मारे गए लोगों में से तीन के वारिसों को नौकरी भी दी गयी है। इसी प्रकार से जो इस फायरिंग में फट्टड़ हुए थे उनको बतौर हर्जाना 3,27,000/- रुपये भी दिये गये हैं। स्पीकर सर, जिन अधिकारियों ने मेडीकल रिपोर्ट में फेरबदल करने की कोशिश की है उनकी भी पहचान कर ली गयी है। श्री शाम लाल, रेडियोग्राफर एवं श्री जगदीश लाल बहल, अधीक्षक जोकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं को बड़ी सजा देने के नियम सात के अन्तर्गत चार्जशीट करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से श्री रूप सिंह तत्कालीन एस0डी0एम0 रिवाड़ी एवं श्री सोहन लाल, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रिवाड़ी और पुलिस के दूसरे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है। इसी तरह से श्रम आयुक्त हरियाणा ने अपने सभी उप श्रम आयुक्त एवं श्रम और सुलह अधिकारियों को यह हिदायतें जारी की हैं कि वे इस प्रकार के मामलों को शान्तिपूर्वक तरीके से निपटाने का प्रयास करें।

चौ0 नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बेबी किलर कांड 20-2-1995 को शुरू हुए थे और उस समय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे। स्पीकर सर, उस समय नाजायज तरीके से आदमियों को जेलों में डाल दिया जाता था। इस बेबी किलर कांड के मामले में भी दो लड़के नाजायज तरीके से पुलिस ने जेल में बंद कर दिए थे। इनमें से एक की तो

बाद में जेल में हत्या हो गयी थी और दूसरे को कई साल बाद निर्दोष करार दिया गया था, जब असली मुलजिम पकड़ा गया था। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सी0पी0एस0 महोदय से रिक्वैस्ट है कि इसमें जो भी पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पीकर सर, इतना लम्बा अर्सा होने के बावजूद अभी तक उस स्पष्टीकरण का जवाब नहीं आया है। जिन पुलिस अधिकारियों को अभी तक सजा दी गयी है वह केवल वेतन वृद्धि रोकने की ही दी गयी है। स्पीकर सर, यह सजा नाकाफी है। मेरा आपके माध्यम से इनसे प्रश्न है कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी या नहीं ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह ठीक है कि इस रिपोर्ट में भी और जाँच के बाद भी असली अपराधी सतीश पुत्र बृजलाल ही था। परन्तु तीन अन्य व्यक्ति रामबाबू पुत्र रामलखन, राजकुमार पुत्र चन्दा सिंह और शंकर पुत्र मोहन चौधरी को झूठा फंसाया गया था क्योंकि ये बेबी किलर नहीं थे। स्पीकर सर, इवन दिल्ली पुलिस को पचास हजार का जो अवार्ड दिया गया था हमारी इस रिपोर्ट के मुताबिक वह पचास हजार रुपये भी वापस ले लिए गए और इनके खिलाफ जो भी कार्यवाही बनती होगी वह हम करेंगे। यह ठीक है कि नफे सिंह राठी जी वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति को फंसाया गया था, उसकी जेल में हत्या कर दी गई थी। जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जो रिकमंडेशन कौल कमीशन की है उसके मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा सी0पी0एस0 साहब ने बताया कि धारुहेड़ा में पशुपति मिल में जिन अधिकारियों की कोताही की वजह से गोली कांड हुआ और 4 मजदूर मरे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग या जो दूसरे लोग थे उनके खिलाफ कब तक ठोस कारवाई की जाएगी ? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित करेंगे ? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से आश्वासन है कि यह मामला विचाराधीन है जबकि यह इतना गंभीर मामला है कि इसमें चार मजदूर मरे हैं। जिन्होंने फायरिंग की है उन अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाएगी, यह बताने की कृपा करें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह ठीक है कि कार्यवाही ऐकोरडिंग टू रूलज़ बनती है और हम कार्यवाही कर भी रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि जो कौल कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें इन्वौल्वड कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं उनके बारे में कार्यवाई न करने की बात है लेकिन जैसे शाम लाल रेडियोग्राफर, जगदीश लाल बहल, अधीक्षक और शेर सिंह लिपिक हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है । माननीय साथी ने जो प्रश्न रेज़ किया है कि सख्त कार्रवाई की जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी की जायेगी।

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे क्षेत्र से लगते क्षेत्र का मामला है इसलिए मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज जो गुड़गांव तरक्की कर रहा है उसमें मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। यह कमीशन तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री के कहने पर बना था। इस कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप चौधरी बंसी लाल जी यदि यहां होते तो उनको भी हम इस बारे में कहते। चौधरी बंसी लाल जी जो कि गोलियों की भाषा में बात करते थे इस कांड में भी उन्होंने गोलियों से बात की जिससे तीन दर्जन के करीब मजदूर घायल हुए थे। सारे क्षेत्र को छावनी

[श्री गोपी चन्द गहलोत]

बना दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि गोलियां पशुपति फैक्ट्री के अंदर से चली थीं। इस बारे में जो रिप्लाई दिया गया है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उस मिल का जो जी0एम0 होता था जिस पर पहले भी क्रिमिनल केसिज चल रहे थे, उसके खिलाफ अब ये क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस इंक्वायरी के आदेश करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल को कहा था। तब जाकर कौल कमीशन बनाया गया था और इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति श्री कौल को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है पहले भी वहां इस प्रकार की बहुत सी कार्रवाई होती रहीं और यह भी सही है कि प्रबंधकों ने यूनियन में आपने फेवर का आदमी बैठाने का प्रयास था। कई प्रकार के कर्मचारी थे उनको सहूलियतें देने पर आनाकानी हो रही थी । वहां पर अपने फेवर का आदमी बैठाने के प्रयास में कर्मचारियों में इस मामले को लेकर आक्रोश बढ़ा जिसकी वजह से यह फायरिंग हुई जिसमें चार मजदूर मारे गए। यह ठीक है कि उसमें दर्जनों घायल हुए। जांच की रिपोर्ट कहती है कि एस0डी0एम0 ने बिन जाने बिन देखे इस प्रकार के आदेश दिये। इस बात को कौल साहब ने भी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में माना है और कहा है कि अगर मौके पर जाकर के सही तरीके से कार्यवाही का अवलोकन किया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती । उपाध्यक्ष महोदय की बात सही है लेकिन एक कमीशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ही काम किया जाना है ।

Construction of a Bridge

***1150. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on the railway line on Palwal-Aligarh road in Palwal city ; if so, the time by which the above said bridge is likely to be constructed ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : नहीं, श्रीमान् जी। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी0पी0एस0 महोदय को बताना चाहता हूं कि पलवन-अलीगढ़ रोड और पलवल-बुलन्दशहर रोड ये दो मुख्य मार्ग हैं जहां पर हैवी ट्रैफिक चलता है। मेरे क्षेत्र का अधिकतर भाग भी इस रोड से प्रभावित रहता है। चौधरी बंसीलाल जी की तत्कालीन सरकार के समय भी यह प्रस्ताव आया था और इस रोड को बी0ओ0टी0 के तहत बनाने के लिए टैण्डर भी हो चुके थे और इस बारे में सर्वे भी हो चुका था और रेलवे विभाग से इस बारे में परमिशन भी मिल चुकी थी। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन क्यों नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी ने किसी राजनीतिक कारण से उस प्रस्ताव को उस समय ड्राप कर दिया था। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब यमुना एक्शन प्लान के ट्रीटमैंट प्लांट का शिलान्यास करने गये थे उस समय हमने यह मांग उनके सामने रखी थी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मेरे माननीय साथी श्री भगवान सहाय रावत जी और श्री राजेन्द्र सिंह बिसला भी उस समय वहां मौजूद थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह फलाई ओवर बहुत आवश्यक है और इस बारे में आसपास के गांवों से एक प्रस्ताव भिजवाया जाये और इस बारे में माननीय रेल मंत्री

श्री नीतिश कुमार जी से बात करेंगे कि इस फलाई ओवर को बी0ओ0टी0 के तहत बनवाये। यह आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था। अब मैं माननीय सी0पी0एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन को मध्यनजर रखते हुये और चौधरी बंसीलाल जी के समय में जो अप्रूवल दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुये इस फलाई ओवर को बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, यह ठीक है कि इस फलाई ओवर के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी थी और इसके बाद टैण्डर काल किये गये थे। स्पीकर सर, उसके बाद जब इस पुल को बी0ओ0टी0 के तहत बनाने के लिए टैण्डर काल किये तो किसी कम्पनी ने इसके बारे अपने टैण्डर नहीं दिये। जिस कम्पनी ने अपना टैण्डर दिया उसने इस पुल को बनाने के लिए 15 साल की समयावधि की मांग की थी लेकिन इतनी समयावधि दिया जाना उस समय ठीक नहीं था। इस बात को लेकर उस रोड का सर्वे हुआ था। यह ठीक है कि वह सर्वे 1999 में 28-5-99 और 30-5-1999 को किया गया था और उन्हीं की एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी थी कि इस रोड पर कार, जीप और लाईट व्हीकल्ज सिर्फ 976 चलते हैं और बसें केवल 148 चलती हैं और ट्रक 641 चलते हैं। इसी बात को लेकर सरकार ने माना कि बी0ओ0टी0 के तहत यह पुल बनाना संभव नहीं था। ऐसे पुल बनाने में नोर्मली 7-8 वर्ष तो लग जाते हैं लेकिन 15 साल का समय देना संभव नहीं था इसलिए इस मामले को रोक दिया गया था।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माजरा साहब से जानना चाहता हूं कि अगर विभाग पहले वाले सर्वे से सहमत नहीं है तो वह सरकारी तौर पर सर्वे करा ले क्योंकि इस रोड पर कभी-कभी तो इतना हैवी ट्रैफिक होता है कि रेलवे लाईन से लेकर नैशनल हाई-वे तक जाम लग जाता है और आने वाले समय में नैशनल हाई-वे इस रोड के प्रभाव से जाम हो जायेगा। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। और वह चाहे बी0ओ0टी0 से बनवाया जाये या रेलवे से। इस पुल को बनाने के लिए पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले बताया इस पुल को बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी गई थी और इसके बारे में हम अब रेलवे विभाग से टाई अप कर रहे हैं अगर उनकी तरफ से यस हो जाती है तो इस फलाई ओवर को बनाने के लिए हरियाणा सरकार की वरीयता सूची में तो इसका नाम है। इसलिए मैं माननीय साथी को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार इस मामले में रेलवे विभाग से टाई अप कर रही है क्योंकि इस फलाई ओवर को बनाने के लिए हरियाणा सरकार और रेलवे विभाग का 50-50 प्रतिशत का शेयर होगा। इसलिए इसे बनाने के लिए सरकार पहले से ही विचार कर रही है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी0पी0एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस पुल को बनाने के लिए माननीय साथी ने प्रश्न उठाया है कि पलवल से अलावल, पलवल से अलीपुर और पलवल से रसूलपुर रोड पर जो जाम लगा रहता है। वह कहीं जरूरत से ज्यादा जाम होता है, इतना ज्यादा जाम प्रवेश के किसी रोड पर नहीं रहता है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वहां भारी ट्रैफिक है, और उदय भान जी ने भी कहा है कि इसका दोबारा सर्वे कराया जाए। जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार जहां पत्थर रख गए थे, उन अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करवा रहीं है तो वहीं मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर भी गौर करेगी और जनहित को ध्यान में रखकर इस पुल के निर्माण के बारे में सोचेगी। इसके इलावा मैं माननीय

[श्री भगवान सहाय रावत]

सी0पी0एस0 महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अपने स्तर पर इस पुल को बनवाने का विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : बिसला जी, आप भी अपनी सप्लीमैंटरी पूछ लें, मंत्री जी इकट्ठा जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, भाई उदय भान जी ने जो प्रश्न किया है वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। माजरा जी ने जवाब देकर यह प्रयास किया है कि इस सदन की संतुष्टि हो। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी पलवल में आधारशिला रखने के लिए गए थे, वहां हम सभी ने उनसे निवेदन किया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कनवींस भी थे और आश्वासन भी दिया था कि वे पुल को बनवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हम जो पुल की मांग कर रहे हैं, वह पुल रहीमपुर में यमुना का जो पुल है उसको जोड़ता है। सदन को जानकारी है कि जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार इस रोड़ पर 170 बसें हर रोज चलती हैं। हम मानकर चलते हैं कि कई बार सर्वे जो होता है वह तथ्यों से अलग हटकर जानकारी देता है। माजरा जी से हम निवेदन करते हैं कि बिना अपनी आइडैंटीफिकेशन डिसक्लोज किए उस पुल के पास बैठ जाएं तब इनको पता चलेगा कि वहां कैसे 3-3 किलोमीटर तक का लम्बा जाम लग जाता है। आम आदमी की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि उस पुल को अति शीघ्र बनवाया जाएगा। वास्तव में उस रोड़ पर 500 बसें चलती हैं और वहां 4 स्टेट्स का ट्रैफिक है इसलिए माजरा जी हमें आश्वासन देंगे कि वे खुद वहां जाकर इस रोड़ को देखेंगे जिससे हमारी तसल्ली हो जाएगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी उदय भान ने जो अलीगढ़ पलवल रोड़ पर रेलवे पुल बनाने का प्रश्न उठाया है, उसका भगवान सहाय रावत और बिसला जी ने भी समर्थन किया है। यह वास्तव में जनहित का मुद्दा है । मंत्री जी ने जवाब में कहा कि रेलवे अथोरिटी से वे बात करेंगे कि वे इस पुल को बनाने के लिए तैयार हों इसलिए मेरा मंत्री जी से प्रश्न भी है और सुझाव भी है कि रेलवे अथोरिटी पूरे तौर पर पुल नहीं बनाया करती बल्कि रेलवे अथोरिटी 50 परसैंट का हिस्सा देने के लिए तैयार होती है। जैसे उदय भान जी ने कहा कि क्या मंत्री जी दोबारा से इसका सर्वे करवाकर बी0ओ0टी0 लैवल पर इस पुल को बनवाने का प्रयास करेंगे। और अगर बी0ओ0टी0 का कोई ठेकेदार इसका टैंडर नहीं देता तो जनहित को देखते हुए, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन को देखते हुए, विधायकों की मांग को देखते हुए और लोगों की जरूरत को देखते हुए क्या हरियाणा सरकार अपनी तरफ से इस पुल को बनवाने का प्रयास करेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। वैसे तो मेरा सवाल इससे हटकर है। हरियाणा प्रदेश के अन्दर जितने भी ऐसे शहर हैं जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां पुल बनवाने की कोई व्यवस्था की गई है जैसे पानीपत, रोहतक, रिवाड़ी, जयपुर रोड़ है, वह नैशनल हाईवे रोड है। इस पर भारी ट्रैफिक रहता है इसलिए एक तो रिवाड़ी रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मायना जी, यह रिवाड़ी का सवाल नहीं है, यह पलवल का सवाल है।

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि मेरा प्रश्न इस सवाल से हटकर है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि रोहतक में झज्जर रोड है, उस पर भी रेलवे पुल बनना चाहिए क्योंकि वहां भी ट्रैफिक ज्यादा रहता है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर अनेक सप्लीमैंटरीज पूछी गई हैं । कर्ण सिंह दलाल ने इस बारे में तो पहले भी 25-7-2000 को प्रश्न दिया था और इनके पास रिप्लाई भी गया होगा । ये खुद उससे पहले वजीर रहे हैं और सारी बातें इनके वक्त में हुई हैं। जहां तक मेरे माननीय साथी भगवान सहाय रावत और राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने सवाल पूछा है कि क्या इस पुल का दोबारा से सर्वे करवाया जायेगा, इस बारे में बताना चाहूंगा कि हां दोबारा से सर्वे करवा लेंगे और इस पुल को बी0ओ0टी0 लैवल पर भी बनवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि बी.ओ.टी. इस पुल को बनाने के लिए 12 साल या 15 साल का समय लेगें तो उनसे यह पुल बनवाना फीजीबल नहीं है क्योंकि हम इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते। हम ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल का समय दे सकते हैं। स्पीकर सर, जहां तक मेरे साथी कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि रेलवे वाले इस पुल को बनाने के लिए तैयार हैं वे गलत कह गये, रेलवे वाले इस पुल को बनाने के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय उनसे यह पुल बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यदि रेलवे वाले बनवायेंगे तो 50 प्रतिशत शेयर रेलवे वाले देंगे और 50 प्रतिशत शेयर स्टेट गवर्नमैंट देगी।

श्री उपाध्यक्ष : माजरा साहब, वहां पर बाकई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न भगवान सहाय रावत।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पुल के बारे में मैंने भी सप्लीमैंटरी पूछनी है।

श्री अध्यक्ष : आपको पहले सप्लीमैंटरी पूछनी चाहिए थी । अब अगला प्रश्न शुरू हो रहा है आप उस पर सप्लीमैंटरी पूछ लेना ।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर सर, आप न तो जीरो आवर में बोलने देते हैं और न ही सप्लीमैंटरी पूछने देते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्द्रजीत जी, आप अगले प्रश्न पर सप्लीमैंटरी पूछ लेना ।

Patronage Rebate Amount

***1100. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Cooperation be pleased to State—

(a) whether the HAFED has paid any amount to the Cooperative Marketing Societies as patronage rebate during the year 2000-2001 till date; if so, the details thereof ; and

(b) whether the HAFED has given rebate on the DAP bags during the year 2000-2001 till date; if so, the details thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना) :

(क) हां, श्रीमान जी। हैफेड ने 1-4-2000 से आज तक सहकारी विपणन समितियों का 97.42 लाख रूपये की राशि संरक्षण छूट के रुप में दी है।

(ख) हां, श्रीमान जी । हैफेड ने डी0ए0पी0 बैगों पर किसानों को 1-4-2000 से 31-7-2002 तक 925.38 लाख रुपये की छूट दी ।

श्री भगवान सहाय रावत : स्पीकर सर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि हैफेड ने 1-4-2000 से अब तक सहकारी विपणन समितियों को 97.42 लाख रुपये की राशि की संरक्षण छूट के रुप में दी है और दूसरा यह बताया है कि डी0ए0पी0 पर भी 31.7.2002 तक 925.38 लाख रुपये की छूट दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या डी0ए0पी0 के अतिरिक्त भी दूसरे उर्वकों पर छूट दी गई है?

श्री करतार सिंह भड़ाना : स्पीकर सर, दूसरे उर्वकों पर छूट नहीं दी गई।

श्री भगवान सहाय रावत : स्पीकर सर, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के लिए डी0ए0पी0 और दूसरे सुपरफास्फेटिक तथा रसायनिक उर्वक बहुत ही अहमियत रखते हैं। स्पीकर सर, इस साल पहले ही किसान सूखे की मार झेल रहे हैं इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या मंत्री जी डी0ए0पी0 के अलावा दूसरे उर्वकों पर भी किसानों का छूट देने बारे विचार करेंगे।

श्री करतार सिंह भड़ाना : स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस पर विचार कर लिया जायेगा और संभव होगा तो छूट भी दी जायेगी।

Drought in the State

***1142 : @Shri Karan Singh Dalal,**
Shri Jagjit Singh,
Shri Ramesh Kumar Khatak,
Shri Ranbir Singh,
Smt. Anita Yadav, : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) Whether the State of Haryana has been declared drought affected ; and

(b) If so, the details of the relief provided or to be provided to the affected farmers ?

राजस्व मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) जी, हां

(ख) प्रभावित किसानों को दी जा रही राहत या दी जाने वाली राहत का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. फसल खरीफ-2002 का आबियाना माफ किया गया है।
2. सभी अल्पावधि सहकारी ऋणों को मध्यावधि सहकारी ऋणों में परिवर्तित किया गया है।
3. जहां खराबा 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ है, उस क्षेत्र के कृषि नलकूपों के बिल 6 मास के लिए स्थगित किये जायेंगे ।

@ Put by Shri Karan Singh Dalal.

4. दिनांक 5.8.02 से 20.8.02 तक विशेष गिरदावरी हो चुकी है। विशेष गिरदावरी के परिणाम प्राप्त होने उपरान्त प्रभावित किसानों को राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्मज अनुसार राहत प्रदान की जाएगी।

5. सिंचाई विभाग द्वारा नहरी पानी पर आधारित जल-आपूर्ति तथा पशुओं के लिए तालाबों को नहरी पानी से भरने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। सूखे के प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से समस्त राज्य में फसलों को पानी सुनिश्चित करने के लिए भाखड़ा से अधिक पानी लिया गया है।

6. सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष पशु स्वास्थ्य देखभाल कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं।

7. राज्य में सूखा के कारण बिजली की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पावर युटिलिटीज को तेज किया गया है। पावर युटिलिटी ने कृषि क्षेत्र में नियमित बिजली सप्लाई कायम रखी है। वर्ष 1998-99 की तुलना में इस वर्ष सूखा-ग्रस्त महीनों में औसतन बिजली सप्लाई 50 प्रतिशत अधिक रही है।

8. किसानों को ट्यूबवैल चलाने के लिए 7 घण्टे प्रतिदिन बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए अतिरिक्त रोशनी के लिए बिजली प्रतिदिन 10-11 घण्टे दी जा रही है।

9. जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है।

10. स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने हेतु स्वास्थ्य कैम्पस आयोजित किए जाएंगे, विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में।

11. काम के बदले अनाज प्रोग्राम के तहत स्वराज ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराये जायेगें।

12. विभिन्न विभागों को तत्काल राहत से लिए 16.00 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र० सं०	विभाग का नाम	उद्देश्य	राशि (करोड़ों में)
1.	कृषि विभाग	वैकल्पिक फसलों के बीजों तथा जिप्सम के लिए	3.00
2.	जन-स्वास्थ्य विभाग	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने के बारे	8.00
3.	पशुपालन विभाग	पशुओं की दवाइयां खरीदने के लिए	3.00
4.	स्वास्थ्य विभाग	दवाइयां खरीदने के लिए	2.00
		योग :	**16.00**

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सूखे के बारे में जवाब दिया है। 10.00 बजे इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो जवाब इन्होंने दिया है उसमें इनके अपने जवाब में ही मतभेद है। मैंने सवाल के 'क' भाग में पूछा था कि क्या हरियाणा राज्य को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है तो इन्होंने इसका जवाब हां में दिया है। दूसरी तरफ मंत्री जी ने कहा है कि केवल 5.8.2002 से 20.8.2002 तक की अवधि की गिरदावरी करवायी जायेगी। स्पीकर साहब, इनके जवाब को देखते हुए मेरा इनसे सवाल है कि कल सूखे से संबंधित विषय पर इन्होंने अपने जवाब में यह माना है कि सूखे की वजह से किसान फसल नहीं बो सके। जब ये इस बात को जानते हैं कि सूखे की मार किसानों पर पड़ी हुई है और वे अपनी फसल बो नहीं सकते तो फिर ये विशेष गिरदावरी क्यों करवाने पर तुले हुए हैं ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि सूखे की स्थिति में बिना किसी विशेष गिरदावरी किए तमाम हरियाणा प्रदेश के किसानों को राहत देंगे ? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि सूखे के कारण लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 16 करोड़ रुपये की राशि कृषि विभाग, जन-स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी की है। जब ये एक तरफ मान रहे हैं कि सूखा पूरे हरियाणा में पड़ा है तो फिर ये विशेष गिरदावरी किस राजनीतिक आधार पर और गलत तरीके से करवा रहे हैं ? मेरा इस संबंध में मंत्री जी से निवेदन है कि क्या विधान सभा के सभी दलों के सदस्यों की कमेटी बनायी जायेगी ताकि जो राहत हरियाणा के किसानों को दी जानी है वह इस विधान सभा के सदस्यों की कमेटी के माध्यम से दी जा सके ? क्या ऐसी कोई समिति गठित करके यह सारा काम उनकी देखरेख में कराने पर ये विचार करेंगे?

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, कल भी ये एक बात कह कर चले गए। सुनने की इनकी आदत नहीं। कल हाउस में सूखे के ऊपर चर्चा हो रही थी और असैम्बली के बाहर प्रदेश में भगवान बारिश कर रहा था। इन्होंने कल भी हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिये । जिनका पहले सवाल है उनको मौका देंगे।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो विरोधी पक्ष के विधायक साथी बैठे हैं उनके भी क्वैश्चन हैं और उन्होंने भी अपने सवाल पूछने हैं। मेरा आपसे बड़े अदब के साथ अनुरोध है कि आप सभी को बोलने का पूरा मौका दें। मैं सभी साथियों की इस संबंध में तसल्ली करके इनको भेजूंगा। अभी श्री कर्ण सिंह दलाल यह कह रहे थे कि मेरे रिप्लाई में मतभेद है। हमारे रिप्लाई में कोई मतभेद नहीं है। हमारी सरकार और प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को सूखे से प्रभावित राज्य घोषित किया और श्रीमान कर्ण सिंह दलाल आज तो पलवल में रह रहे हैं। कभी किसान के घर में जन्म भी लिया, खेत में भी गए और आज विधायक हैं, इसलिए इनको पता है कि जब तक गिरदावरी नहीं होती तब तक हकीकत सामने नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, एक किसान के पास तो ट्यूबवैल है दूसरे किसान के पास ट्यूबवैल नहीं है। जिस किसान के पास ट्यूबवैल है उसने कोशिश की और ट्यूबवैल पर उसको अधिक बिजली मिली, उससे फसल पैदा की, नहर में पानी ज्यादा उपलब्ध हुआ और फसल पैदा की। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था कि कॉलिंग अटैंशन मोशन के द्वारा भी विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई। कितना पानी हमें भाखड़ा से मिला, कितना पानी हमें ताजेवाला हैड से मिला, किन-किन तारीखों में कितना-कितना पानी दिया यह सब मैंने बताया था। लेकिन वे फिर यह कह कर चले गए

कि पलवल के आथियाना को माफ नहीं किया। दलाल, साहब, आपके जाने के बाद मैंने बताया था कि आपके पलवल का इलाका भी उसमें है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस इलाके के भी साथी हैं सब को उसमें शामिल किया गया है। रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, झज्जर के उत्तर के इलाके में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां किसान सरसों की खेती के लिए साढ़ी रखता है, बगैर साढ़ी के उस पर सरसों की बिजाई नहीं होती, उसको आप क्या मान कर चलेंगे। हम कबूल करके चल रहे हैं कि इन महीनों में बारिश नहीं हुई। कुदरत मेरे हाथ में नहीं है, कुदरत में बहुत ताकत है। मानसून की बारिश नहीं हुई लेकिन प्रि-मानसून में पूरे प्रदेश में बारिश हुई थी जिसकी वजह से बिजाई भी हुई और बाद में बारिश न होने की वजह से फसलों का नुकसान भी हुआ। जैसे बाजरा है, ग्वार है, ज्वार है, तिल है, दालें हैं और गन्ना भी उसमें आता है, यह कुछ ऐसा इलाका है जहां कहने को तो पानी मीठा है लेकिन उस मीठे पानी की तासीर में भी थोड़ा सा तीखापन है। झज्जर, रिवाड़ी, गुड़गांव और दूसरे इलाकों की यमुनानगर के इलाके से पानी की तुलना करें तो काफी अन्तर है। वहां पर भी मीठा पानी कहा जाता है। हमारी सरकार के बारे में इन्होंने एक बात कही और मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं इस बात को क्लीयर करूं। अध्यक्ष महोदय, दर्शकदीर्घा में लोग बैठे हुए हैं और पत्रकार दीर्घा में भी पत्रकार साथी बैठे हुए हैं कोई एक ऐसी कमेटी बना लें, अगर वह कमेटी यह साबित कर दे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और मैंने हर जगह जा कर कहा कि यह राजनीतिक आपदा नहीं है यह आपदा परमात्मा की दी हुई है इसलिए किसी किसान के साथ राजनैतिक आधार पर कोई गिरदावरी नहीं होनी चाहिए। जो इसका हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। (विघ्न) अम्बाला और यमुनानगर में तो कल तक बाढ़ आ रही थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि गिरदावरी की जरूरत क्यों हुई। जब तक एक्चुअल हालात सामने नहीं आते कि कितनी बिजाई हुई और कितनी फसल नहीं हुई तब तक मुआवजा कैसे तय होगा ? दलाल साहब, कल आप एक बात कह कर चले गए कि लोगों ने पहले ही फसल जोत दी । (विघ्न) इन्होंने कहा कि फसलें गिरदावरी से पहले जोत दी गई थीं। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि 13-14 तारीख से पहले बारिश हुई ही नहीं थी। बारिश न हो तो उस जमीन पर हल तो छोड़ो ट्रैक्टर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। जो किसान हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि जमीन इतनी सूख गई थी कि उस पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता था। बारिश 13-14 तारीख को हुई और गिरदावरी का काम 5 तारीख को शुरू हुआ और 20 तारीख तक चलता रहा । हम आपकी तरह नकली गिरदावरी नहीं करवाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब बारिश ही नहीं हुई तो पहले फसल कैसे जोत दी गई। इसके अलावा जो फसलें सूखे में दर्शाई हैं उनकी 100 प्रतिशत गिरदावरी तहसीलदार करेगा, 25 प्रतिशत गिरदावरी एस0 डी0 एम0 जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, करेगा, इसके अलावा जो फसलें सूखे में दर्शाई गई हैं, उनकी 10 प्रतिशत गिरदावरी डी0 सी0 मौके पर जाकर चैक करेगा और दो प्रतिशत जांच कमिश्नर करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री कर्ण सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि इसमें समय लगता है और मैं इसको चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी मंशा में कोई खोट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह जी कुछ और पूछना है तो पूछ लें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रश्न नहीं है, आपका कोई सुझाव नहीं चाहिए। आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : * * * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी विपक्ष के साथियों से अनुरोध है और यह अनुरोध मैंने पहले भी किया था कि जो भी सदस्य जो-जो सवाल पूछना चाहे, पूछे, मैं उसका जवाब देता रहूंगा। (शोर एवं व्यवधान) यह कोई डिस्कशन का मौका नहीं है। आप सवाल पूछें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने गिरदावरी पांच तारीख को शुरू की और यह लगभग एक हफ्ते में की गई थी। सारे प्रदेश की जमीन की गिरदावरी एक हफ्ते में हो गई। लेकिन अचानक एक हफ्ते के बाद सरकार की तरफ से आदेश आए कि यह गिरदावरी गलत हो गई है दोबारा से गिरदावरी की जाए। ऐसा क्या अंदेश हो गया कि सब जगहों पर 50 प्रतिशत गिरदावरी गलत हो गई और दोबारा से गिरदावरी की जाए। अध्यक्ष महोदय, वहां पर डी0सी0, एस0डी0एम0 और तहसीलदार जांच करके आए हैं। अध्यक्ष महोदय, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में खास करके भिवानी जिले में तो सब जगहों पर गलत गिरदावरी हो गई थी। आप इस बारे सदन में बताएं कि ऐसी क्या गलत गिरदावरी हो गई थी जो दोबारा से जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा आपने कहा है कि इसकी रिपोर्ट आएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गिरदावरी किए हुए 15 दिन हो गए हैं। अब तो रिपोर्ट आ गई होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के और भारत सरकार के गिरदावरी के बारे में क्या-क्या नॉर्मज हैं, उनके बारे में सदन में क्लीयर करें ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विधान सभा के मैम्बर्ज की एक कमेटी बनाई जाए और डिस्ट्रिक्ट वाईज सदन में सारे आंकड़े बताएं। (शोर एवं व्यवधान) वह कमेटी यह देखेगी कि कहीं सरकार ने जो राहत देने की कोशिश की है उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की पांच-पांच पेजों की रिपोर्ट को मिलाकर 10 पेजों की रिपोर्ट है। अगर आप कहें तो मैं इसको सदन में पढ़ कर सुना देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) जगजीत सिंह जी, कल ये सदस्य सूखे पर कालिंग अटैंशन मोशन देकर चले गए थे। जब उस बारे में सदन में चर्चा में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं हुई तो हाउस को छोड़कर भाग गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगजीत सिंह सांगवान : मैंने कोई कालिंग अटैंशन मोशन नहीं दिया था।

श्री धीरपाल सिंह : अब आप क्या कहते हैं कि मैं इस 10 पेज की रिपोर्ट को पढ़ कर सुना दूं या सदन के पटल पर रख दूं। (शोर एवं व्यवधान)

स्पीकर सर, या तो सांगवान साहब कहें कि मेरी तसल्ली हो गई या फिर यह दस पेज का जबाव सुनने के लिए तैयार रहें। (विघ्न) पांच पेज तो भारत सरकार के ही हैं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : नहीं-नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, सांगवान साहब ने एक बात और भिवानी जिले के बारे मे कहीं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सरकार ने चाहे वह भिवानी हो, सिरसा हो, महेन्द्रगढ़ हो, रिवाड़ी हो, फतेहाबाद हो या पार्ट ऑफ जींद हो , इनको बाकी प्रदेश से ज्यादा सूखा प्रभावित माना है। इन्होंने जहां पचास परसैंट गिरदावरी की बात कही लेकिन मैं इनको बता दूं कि जब गिरदावरी शुरू हुई तो कुछ लोगों ने उसको राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। स्पीकर सर, चाहे किसी भी पार्टी का राज हो लेकिन कर्मचारी तो कर्मचारी ही है। पटवारी को लेकर भी राजनीतिक बातें हुई। स्पीकर सर, जब कुछ लोगों द्वारा इस तरह से गिरदावरी को लेकर राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया गया तो सरकार ने तुरन्त इस बात को महसूस किया और वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग साईड पर यह देखने के लिए कहा गया कि जो यह कुछ लोगों द्वारा गिरदावरी को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। स्पीकर सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं पायी गयी। (विघ्न) जिसका जितना हक बनता है उसको उतना दिया जाएगा । चाहे भिवानी हों, चाहे हिसार हो, चाहे झज्जर हो या चाहे कोई दूसरा इलाका हो उसको उसका हक मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। जिनके ओरिजनल क्वैश्चन्ज हैं मैं पहले उसको एक-एक सप्लीमैंट्री पूछने दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) फौजी साहब, सवाल उन्हीं का है। आप पढ़कर तो देखिए। (शोर एवं व्यवधान) क्वैश्चन उन्हीं का है आप पढ़कर देखें। फौजी साहब, अब आप बैठ जाएं।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान) ***

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब की बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) जिनका क्वैश्चन हैं पहले उनको सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा है।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर साहब, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप बैठिए (शोर एवं व्यवधान) सांगवान साहब, जो आप पूछना चाहते हैं वह खटक साहब पूछ लेंगे या फिर आप लिखकर भेज दें। अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, इस तरह से तो हाउस का टाईम वेस्ट हो रहा है जबकि क्वैश्चन ऑवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले लिस्टेड लोगों को सवाल पूछने दें और उसके बाद अन लिस्टिड लोगों का नाम ले लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं। क्वैश्चन ऑवर में सिर्फ दस मिनट बाकी है इसलिए आप सभी यह टाईम वेस्ट न करें।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जो आदमी मेहनत करते हैं जो आदमी अपने सवाल देते हैं पहले उनको सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। ये अपने सवाल तो देते नहीं है और यहां पर बीच में बोलते रहते हैं टोकते रहते है। पहले लिस्टेड लोग पूछें और लिस्टेड लोगों के बाद अगर आप परमिशन देते हैं तो दूसरे लोग भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये क्वैश्चन तो देते नहीं हैं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जबाव तो अभी तक भी नहीं आया है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। आप खटक जी को भी कुछ पूछने दें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पास इन सबके जबाव हैं। धर्मबीर जी भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। धर्मबीर के गांव में या उनके आसपास के गांव में चारे की कमी से या पानी की कमी से कोई जानवर मरा हो तो ये बताएं। (शोर एवं व्यवधान) केवल अखबार में छपवाने से बात नहीं बनती। हमने रात को डी0सी0 को भेजा था कि पहले धर्मबीर के गांव में और उसके आसपास के गांव में जाकर के देख के आओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * *

वाक आउट

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का मंत्री जी द्वारा पूरा जवाब नहीं दिया गया इसलिए मैं ऐज-ए-प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर सिंह बगैर परमीशन के बोल रहे हैं इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न एवम् उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखे से जहां किसान पर प्रभाव पड़ा है वहीं व्यापारी, आम आदमी और मजदूर पर भी प्रभाव पड़ा है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जहां किसानों को सरकार द्वारा राहत दी जाएगी वहीं मजदूरों को भी कोई सुविधा देने पर क्या सरकार विचार करेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि दर्शाया गया है सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष पशु देखभाल कैम्प आयोजित किए गए हैं जो पशु स्वास्थ्य कैम्प लगाए गए हैं उसमें कितने पशु सूखे से प्रभावित हुए हैं और अधिकारियों ने कितने आंकड़े दर्शाकर सरकार के पास भेजें हैं, यह जानना चाहता हूं ?

श्री धीर पाल सिंह : खटक साहब का पहला प्रश्न है कि गांव में किसान के अलावा समाज के और लोग भी रहते हैं सूखे का प्रभाव उन पर भी पड़ा है तो उनकी रोजी रोटी के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ किया है तो मैं बताना चाहता हूं कि जी हां काम के बदले अनाज के तहत कार्य शुरू हुए और गांव-गांव में इस ढंग से तालाबों की खुदाई की बात थी, रास्ते में मिटटी डालने की बात थी, नाले बनाने की बात थी और स्कूल के आंगन में मिट्टी भरने की बात थी। जो भी काम के बदले अनाज के द्वारा मजदूरों के हाथों से संभव था उस पर सरकार ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

स्पीकर सर, अप्रैल माह से लेकर जुलाई माह तक 27 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि सरकार ने काम बदले अनाज पर खर्च की इसके अलावा 21199 मीट्रिक टन गेहूं जिन्होंने हाथ से काम किया उनमें बांटा है उससे काफी लोगों को विशेषकर भूमिहीन लोगों को राहत मिली और ज्यादा दिन काम करने का उनको मौका मिला। तीन करोड़ रुपये की राशि हमने दवाईयों के लिए रखी थी उसके लिए कैम्प लगाए। कैम्पों में आए जानवरों को दवाइयां वितरित की गईं। एक-एक जानवर के बारे में मोहम्मद इलियास जी ही विस्तार से बता सकेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मंत्री जी, यह बताएं कि सूखे समय कितने गांवों में वे गए हैं ?

श्री धीरपाल सिंह : मैं बता रहा था कि पशुपालन विभाग के लिए हमने दवाईयों के लिए 3 करोड़ रुपये जारी किए और मैंने उसकी इंक्वायरी भी करा ली है । कल इनके डाक्टर साहब को बुलाया गया था । तीन करोड़ रुपये की दवाइयां सैंटर ने उपलब्ध कराई हैं इसलिए किसी पशु को पीने के पानी के अभाव में, चारे के अभाव में और दवाई के अभाव में मरने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : रामबीर सिंह जी बोलेंगें।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप रामबीर सिंह जी के बाद बोलें । अब आप अपनी सीट पर बैठिये।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, रामबीर जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। आप उनको तो जबरदस्ती उठा रहे हैं और अनिता जी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं आप इनको पास ऑन कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन लिस्ट में गलती से रणबीर सिंह की जगह रामबीर सिंह का नाम टाईप हो गया है इसलिए मैं रामबीर सिंह का नाम बोल रहा था अब रणबीर सिंह बोलेंगे।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के बाद हरियाणा सरकार ने अपने सीमित साधनों से किस प्रकार किसानों को राहत प्रदान की है उसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रैवेन्यू मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस आपदा के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है या नहीं क्योंकि हमारे कृषि मंत्री महोदय, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अजीत सिंह से मिले थे और उनसे 615 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की थी क्या केन्द्र की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया कि कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी या नहीं ? इसके साथ ही साथ मैं अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि जो किसान सूखे की वजह से कोई फसल नहीं बो पाये क्या उनको कुछ राहत या मुआवजा देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ? (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस मिस्टेक है क्योंकि हिन्दी वर्सन में रामबीर सिंह दिया और इंगलिश में रणबीर सिंह दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । क्वैश्चन लिस्ट में गलती से रणबीर सिंह की जगह रामबीर सिंह का नाम टाईप हो गया है इसलिए मैं रामबीर सिंह का नाम बोल रहा था। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो राहत प्रदान करने जा रहे है उसके इलावा गिरदावरी करवाई है उसमें जो क्षेत्र आयेंगे उनको भी राहत दी जायेगी। केन्द्र सरकार से जो आर्थिक सहायता मिलेगी उसके अलावा राज्य सरकार के आपदा राहत कोष से राहत प्रदान की जायेगी । इसके इलावा राज्य सरकार के अपने खर्चों में कटौती करके किसानों को उनका हक दिया जायेगा । ऐसा मैं सदन को आश्वासन देता हूं।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सूखे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। क्या सरकार जो गिरदावरी कर रही है उसके बाद डौमैस्टिक बिजली के बिल की रिकवरी पोस्टपोन करेगी ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): अध्यक्ष महोदय, चर्चा सूखे पर हो रही हो और ये घर के बिजली के बिलों की चर्चा करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Modernization of Bus Fleet

***1128. Shri Nafe Singh Jundla :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government for the modernization and expansion of Bus fleet of Haryana Roadways, if so, the details thereof togetherwith the number of new buses to be purchased during the year 2002 ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार अरोड़ा) : श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य परिवहन के बस बेड़े का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 के दौरान क्रमश:489 व 705 आधुनिक डिजाईन की बसें पुरानी बसों के बदले जोड़ी गई हैं।

वर्तमान् वर्ष के दौरान 289 बसें पुरानी बसों के स्थान पर जोड़ी जा रहीं हैं। इसके अतिरिक्त पुरानी बसों के स्थान पर 355 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया जा चुका है।

हरियाणा राज्य परिवहन के बस बेड़े में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Decreasing the loss of State Transport

***1126. Shri Balbir Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that the State Transport is suffering a loss due to the excessive increase in the expenses of Haryana State Transport; if so, the steps being taken to overcome the loss of State Transport ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the bus fare due to the hike in the prices of diesel ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) :

(क) हरियाणा राज्य परिवहन (I) डीजल की कीमतों में वृद्धि (II) भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स लागू करने तथा (III) बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा प्रीमियम की दरों में वृद्धि करने के कारण खर्चों में भारी बढ़ौतरी का बोझ उठा रहा है।

फिर भी खर्चे में हुई बढ़ौतरी पर काबू पाने तथा हानि को कम करने के लिये हरियाणा राज्य परिवहन के संचालन को निम्नलिखित उपायों से और अधिक कुशल बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं :—

1. कर्मचारियों को अच्छी प्रकार से प्रेरित करके तथा उनके अच्छे प्रयासों से बसों में यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ौतरी लाई गयी है।
2. टायर-ट्यूब व कल पुर्जों के व्यय को घटाया गया है।
3. कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद अच्छी कार्यकुशलता प्राप्त की जा रही है।
4. जनता की सुविधा बढ़ाने तथा मार्गों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये मार्गों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।
5. बस बेड़े का और अधिक नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
6. सड़क सुरक्षा के मापदण्डों में सुधार किया जा रहा है।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

Guidelines for New water/Electricity connections

***1136. Shri Anil Vij :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state —

(a) whether any new guidelines have been issued by the Urban Development Department for issuing of N.O.C. for new water and electricity connections; and

(b) if so, the details thereof ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) हां, श्रीमान जी, नगर विकास विभाग ने दिनांक 7-6-2002 को नगरपालिकाओं की सीमाओं के अन्दर पानी, सीवरेज तथा बिजली के नये कनैक्शन स्वीकृत/रिलीज करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये हैं।

(ख) दिशानिर्देश अनुबन्ध 'क' पर रखे हैं।

अनुबन्ध 'क'

बिजली, पानी व सीवरेज के कनैक्शन्ज स्वीकृत/रिलीज किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के मामलों के निर्णय लिये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में धारा 203 (एच) जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना बिजली, पानी व सीवरेज कनैक्शन के स्वीकृत रिलीज करने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान है। अब नगरपालिका सीमा में स्थित प्रत्येक भू-भवन स्वामी के लिये बिजली, पानी व सीवरेज कनैक्शन स्वीकृत/रिलीज कराने के लिये आवेदन करने से पूर्व संबंधित नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। पालिकाओं के पास बिजली, पानी व सीवरेज कनैक्शनों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होंगें। इन आवेदन पत्रों पर नगरपरिषद/पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी /सचिव द्वारा स्पीकिंग आर्डर पास करके निर्णय लिया जाना होगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर निर्णय हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, कन्ट्रोलड ऐरिया एक्ट, 1963 तथा अर्बन ऐरिया एक्ट, 1975 के प्रावधानों अनुसार हो तथा अनाधिकृत कालोनियों के विकास पर प्रभावी रोक लगे, के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित दिशा निर्देश घोषित किये हैं। जिसके आधार पर ऐसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हैं अथवा अस्वीकार किये जाने हैं।

(क) जब तक प्रार्थी द्वारा पालिकाओं से भवन प्लान की स्वीकृति प्रति उपलब्ध नहीं करवाई जाती तब तक बिजली, पानी के कनैक्शन जारी करने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । इसी प्रकार जब तक पालिका द्वारा स्वीकृत प्लान अनुसार भवन की कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं किये जाते तब तक सीवरेज कनैक्शन नहीं किये जायें। भवन प्लान की स्वीकृति तथा कम्पलीशन सर्टीफिकेट उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र समझे जायेंगें।

(ख) कार्यकारी अधिकारी/सचिव अपने-2 क्षेत्र में अनुमोदित कालोनियों या स्कीमों/सैक्टरों की सूची संशोधित नगरपालिका अधिनियम की प्रति सहित हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम तथा लोक निर्माण विभाग (जन-स्वास्थ्य) के स्थानीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ भेजेंगें कि इन अनुमोदित कालोनियों और सैक्टरों से बाहर स्थित भूमि और भवनों के लिए बिजली, पानी व सीवरेज के कनैक्शन तब तक स्वीकृत न किये जायें जब तक वह पालिका से जारी करने के लिये सक्षम हैं जिसमें यह भी अनुरोध किया जायेगा कि जो भवन/भूमि स्वीकृत कालोनी/सैक्टर के बाहर स्थित हैं, के लिये बिजली, पानी व सीवरेज कनैक्शन तब तक जारी न किये जायें जब तक नगरपरिषद/पालिका से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते । तथापि ऐसी अनुमोदित कालोनियों के प्लाटों के लिए स्वीकृत भवन प्लान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने पर पालिका द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया समझा जाये।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान अनाधिकृत कालोनी का भाग नहीं हैं परन्तु कनैक्शन हेतु आवेदित भूमि/मकान का क्रय विक्रय अर्बन ऐरियाज एक्ट, 1975 की धारा 7(1) की उल्लंघना करता हो, तब तक कनैक्शन स्वीकृत/रिलीज नहीं किया जाये जब तक आवेदक कालोनी विकसित करने का लाईसेंस निदेशक, नगर विकास हरियाणा से अनुमोदित ले-आउट प्लान या पालिका द्वारा स्वीकृत भवन, प्लान तथा कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं करता । यह दस्तावेज इन कालोनियों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये समझे जायेगें।

(ा) जहां भूमि/भवन जिसके लिये कनैक्शन आवेदित किया गया है, किसी अनाधिकृत ग भाग न हो तथा भवन प्लान स्वीकृत किया गया हो तथा रिहायशी प्रमाण-पत्र जारी कर हो, ऐसी भूमि/भवन के लिए कनैक्शन स्वीकृत कर दिये जायें।

(ङ) कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा जहां पूर्व में जारी किये गये दिशानिर्देशों अनुसार भवन कृत नहीं किया गया है वहां बिजली, पानी के कनैक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी ... किया जाना है। इसी प्रकार स्वीकृत प्लान अनुसार निर्मित भवन के लिए जहां रिहायशी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया वहां भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(च) प्रत्येक प्रतिवेदन का स्वतः स्पष्ट आदेशों द्वारा प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर-2 निपटान कर दिया जाना चाहिए।

(छ) प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, उनके प्राप्ति की तिथि, उनके निपटान की तिथि व अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये आदेशों की रिपोर्ट निदेशालय में भेजी जायेगी, जिससे उनकी जांच हो सके।

(ज) संबंधित कार्यकारी अधिकारी/सचिव, कार्यकारी अभियंता लोक-निर्माण विभाग, जन-स्वास्थ्य और हरियाणा विद्युत वितरण निगम इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें। ऐसा न किये जाने की सूरत में इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(झ) कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों के आर्डरज से पीड़ित आवेदक अपना प्रतिवेदन निदेशक, नगर विकास को दे सकते हैं, जो केस का परीक्षण करके कार्यकारी अधिकारी/सचिव या प्रार्थी को उचित निर्देश देंगें।

Reducing the rate of Interest

***1104. Sh. Sher Singh :** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Haryana Urban Development Authority (Huda) to reduce the interest on the payment of the instalments of the plots as well as on late payme[nt] thereof; and

(b) if so, the details thereof.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह,) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of Plots in Grain Markets

***1159. Shri Moola Ram :** Will the Minister for Agricultu[re] ... the Government ... state—

(a) whether there is any policy of the Government ... to the old Co... shops on concessional rates to the old Co... newly developed or developing Grain Mark...

(b) if so, the year-wise details of the plots a... from 1996 to date under said policy?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख)

वर्ष	
1996	शून्य
1997	शून्य
1998	शून्य
1999	1
2000	117
2001	100
2002 (31-7-2002 तक)	शून्य

Construction of Chara Mandi at Bhiwani

*1124. **Shri Shashi Parmar** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) whether there is proposal under consideration of the Government to construct Chara Mandi at Bhiwani; and

(b) if so, the time by which the above said Mandi is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) :

(क) हां, श्रीमान जी, भिवानी में चारा मण्डी का निर्माण शुरू हो चुका है।

(ख) निर्माण कार्य सितम्बर, 2003 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

Construction of Grain Market at Uklana.

*1106. **Shri Jarnail Singh** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct New Grain Market at Uklana; and

(b) if so, the time by which the above said Market is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) :

(क) हां, श्रीमान जी, उकलाना में नई अनाज मण्डी का निर्माण चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा चुका है।

(ख) प्रथम चरण के विकास कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

Edible Oils

***1083. Shri Ram Bhagat :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to launch refined Edible Oils of Sunflower, Corn and Groundnut etc; if so, the details thereof ?

सहकारिता मन्त्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : हां, श्रीमान जी, सर्वप्रथम हैफैड द्वारा चावल की भूसी के रिफाइन्ड खाद्य तेल का शुभारम्भ करने का प्रस्ताव है। बाजार का रूझान देखने के पश्चात् दूसरे खाद्य तेल जैसे कि रिफाइन्ड सूरजमुखी का तेल, रिफ़ाइन्ड मकई का तेल और रिफ़ाइन्ड मूंगफली के तेल को भी विभिन्न चरणों में बाजार में उतारा जाएगा।

Setting up of Kachchi Ghani Oil Mills /Rice Mills

***1082 Shri Balwant Singh Sadhaura**
Shri Bhagi Ram } : Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Mustard Oil (Kachchi Ghani) and Rice Mills during the current Financial year in the State; if so, the details thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : हां, श्रीमान् जी, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हैफ़ेड द्वारा नारनौल में एक आधुनिक कच्ची घानी सरसों तेल मिल और रानियां (सिरसा) में चावल मिल स्थापित की जा रही है।

ओढ़ां में एक कच्ची घानी तेल मिल और फतेहाबाद में एक चावल मिल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इन दोनों संयत्रों को स्थापित करने के लिए भूमि खरीदी/ अधिग्रहण की जा रही है।

Construction of Cemented Roads in Dabwali

***1109. Dr. Sita Ram :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct cemented roads in Dabwali City; if so, the amount sanctioned for the purpose ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाष गोयल) : हां, श्रीमान् जी। राज्य सरकार ने डबवाली शहर में सीमेंट की सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान 19.53 लाख रुपये की राशि पहले ही रिलीज की है।

Strength of Students in Classes

***1162 Sh. Ramesh Kumar Khatak :** Will the Minister of state for Education be pleased to state whether the minimum or maximum strength of students for sitting in the 10th and 10+2 classes in the school has been prescribed; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : जबकि नियमों में विशेष रूप से कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है, ऐजूकेशन कोड में यह व्यवस्था है कि एक कक्षा कक्ष में उपलब्ध स्थान के लिए छात्रों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी और न ही साधारणत: मिडल/हाई/सीनियर सैकण्डरी कक्षाओं में 50 से अधिक छात्र संख्या होगी।

Redemarcation of Boundaries

***1160. Shri Jagjit Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the State Government has constituted any Committee for the redemarcation of the boundaries of Villages, Blocks and Districts; if so, the action taken by the said Committee for the purpose ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): जी, हां।

राजस्व मंत्री महोदय की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिये एक कमेटी का गठन किया गया है। हाल ही में इस कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं जिनमें मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से प्राप्त ग्राम पंचायतों की मांगों पर विचार किया गया है। जिन पर कार्यवाही की जी रही है।

Providing of Red Light

***1191. Smt. Veena Chhibbar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide Red Light at the crossing of Model Town in Ambala City?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): नहीं, श्रीमान् जी।

Repair of Roads

***1182. Smt. Anita Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to repair the damaged roads from Kosli to Jhajjar and village Mundpura to Akheri in Sub-division Kosli; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मुंदपुरा से अखेड़ी तक सड़क की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा एक महीने में पूरा कर दिया जायेगा। कोसली से झज्जर तक सड़क की मरम्मत का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि वांछित धन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

Police Housing Corporation

*1122. **Sh. Nishan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any separate Corporation for providing housing facility to Police Personnel in the State; and

(b) if so, the total number of houses constructed by the said Corporation during the last ten years togetherwith the amount spent thereon ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी, हां,

(ख) निगम द्वारा पिछले 10 वर्षों (1992-93 से 2001-2002 तक) में 2260 आवास बनाए गये जिस पर कुल खर्चा 4266.75 लाख रुपये आया।

Setting up of 33 KV Power Sub-Station

***1099. Smt. Vidya Beniwal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Power Sub-station of 33KV and above in district Sirsa; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान्, जिला सिरसा में प्रसार एवं उप प्रसार प्रणाली को मजबूत करने के लिए 11 उपकेन्द्र 49.57 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित करने नियोजित हैं। एक 220 के0वी0 उपकेन्द्र रानियां, पांच 132के0वी0 उपकेन्द्र माधो सिंघाना, ऐलनाबाद, ओढान, आसा खेड़ा और सिकन्दरपुर और पांच 33के0वी0उपकेन्द्र रसूलपुर धेरी, मेला ग्राऊन्ड सिरसा, खाड़िया, बड़ा गुड्डा तथा शहीदांवाली हैं। ये सभी कार्य आगामी वित्त वर्ष तक पूर्ण होने सम्भावित हैं।

इसके अतिरिक्त दो 33 के0वी0 उपकेन्द्र शाहपुर बेगू एवं नाथूसरी की चालू वित्त वर्ष के दौरान क्षमता वृद्धि करना नियोजित है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Purchase of Substandard Material

117. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether any complaint has been received by the Government in regard to purchase of substandard material in the Cooperative Sugar Mill, Palwal during the year 2000 and 2001; if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : जी नहीं, श्रीमान्।

Licence for Ration Depot

118. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the total number of licences for Ration Depots have been given in district Faridabad during the year 2000 and 2001; and

(b) the number of licences, if any, cancelled in district Faridabad, during the period referred to in part 'a' above together with the reasons thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) वर्ष 2000 के दौरान 138 लाईसैंस तथा वर्ष 2001 के दौरान 61 लाईसैंस जिला फरीदाबाद में राशन डिपूओं के लिए दिए गए;

(ख) वर्ष 2000 के दौरान 71 लाईसैंस तथा वर्ष 2001 में 54 लाईसैंस राशन डिपूओं के फरीदाबाद जिले में राशन की वस्तुओं के वितरण में की गई विभिन्न अनियमितताओं के कारण रद्द किए गए।

Number of proclaimed offenders.

119. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether any criminal has been declared proclaimed offender in the State during the year 2000 and 2001; if so, the district-wise number and names thereof ?

Interim Reply

"ओम प्रकाश चौटाला

मुख्य मंत्री, हरियाणा

चण्डीगढ़ CMH/2002/4533

2-9-2002

अतारंकित प्रश्न सं0 119 माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए विभिन्न अदालतों तथा पुलिस थानों के रिकार्ड से सूचना ली जाती है, जो एक लम्बी प्रक्रिया है।

अत : आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए।

आपका,

Sd/-

(ओम प्रकाश चौटाला)

श्री सतबीर सिंह कादियान,
अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,
चण्डीगढ़।"

---

*Reply of this un starred question appears as Annexure.

Cases of Rape/Murder etc. Registered in Faridabad

125. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of cases of dacoity, theft, murder, rape and hurt registered in district Faridabad during the years 2000 and 2001; and

(b) the number of cases out of those referred to in part 'a' above in which accused have not been apprehended/arrested ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) फरीदाबाद जिला में वर्ष 2000 और 2001 में दर्ज मुकदमों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है :—

क्र०सं०	अपराध का शीर्ष	मुकदमों की संख्या	
		2000	2001
1.	डकैती	15	7
2.	चोरी	889	668
3.	हत्या	78	68
4.	बलात्कार	45	37
5.	चोट	345	304

(ख) मुकदमें जिनमें अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए की संख्या निम्नलिखित है :—

क्र०सं०	अपराध का शीर्ष	मुकदमों की संख्या	
		2000	2001
1.	डकैती	2	1
2.	चोरी	207	107
3.	हत्या	8	4
4.	बलात्कार	1	0
5.	चोट	3	3

Shortage of Drinking Water

127. Shri Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Govt. is aware of the fact that there is acute shortage of drinking water in the colonies such as Ward No. 1 Ravidas Mohalla, Balmiki Basti, Dhanak Basti, Gamri, Dayanand Vihar, Gandhi Nagar, Sainipura, Ramdas Nagar, Kath Mandi, Anaj Mandi, Hira Chowk, Subhash Chowk, Chhoti Bajari etc. of Municipal Committee Charkhi Dadri District Bhiwani; and

(b) if, so, the steps being taken by the Government to solve the problem of the drinking water of the aforesaid colonies ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) इन कालोनियों में पीने के पानी की कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Providing of Sewerage

128. Shri Jagjit Singh Sangwan : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that there is no sewerage facility in the colonies such as Ward No.1, Balmiki Basti, Ravidas Basti, Dhanak Basti, Saintpura, Gandhi Nagar, Vivek Nagar, Fountain Chowk of the Municipal Committee, Dadri; and

(b) if so, the time by which the facility of sewerage system is likely to be provided to the aforesaid colonies ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) तथा (ख) वार्ड संख्या 1, बाल्मीकि बस्ती, रविदास बस्ती, धानक बस्ती, सैनीपुरा, गांधी नगर व फव्वारा चौक कालोनियों में सीवरेज सुविधा उपलब्ध है। विवेक नगर एक अस्वीकृत कालोनी है। सरकार की नीति के अनुसार स्वीकृत कालोनियों में ही सीवरेज प्रणाली बिछाई जाती है।

विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापिस लेने के लिए अनुरोध करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Bhupinder Singh Hooda and five other M.L.As regarding non-payment of sugarcane to the farmers by the Co-operative and Private Sugar Mills. I admit it. Now, Shri Bhupinder Singh Hooda, may read his notice. (Noise and interruptions)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी कालिंग अटैंशन एडमिट की। इन दोनों कालिंग अटैंशनस में हमारा जो साथी है कैप्टन अजय सिंह यादव, उसका नाम भी अंकित है। उसको आपने सस्पैंड कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और एस0वाई0एल0 हमारे हरियाणा की जीवन रेखा है, उसमें उनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है, 4 बार वे इस सदन के सदस्य रहे हैं, उनको सदन में आने की इजाजत दी जाए। उनकी सस्पैंशन खत्म करके उनको यहां बुलाएं क्योंकि उनका दोनों कालिंग अटैंशन मोशन में नाम है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, एक बहुत ही सीनियर मैम्बर को पूरे हाउस के लिए नेम कर दिया गया है, दो दिन का हाउस है और दो दिन में मैम्बर हाउस में बैठकर अपनी बात नहीं कह सकता तो इससे बुरी बात क्या होगी। दोनों कालिंग अटैंशन मोशन में उसका नाम है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में विचार करें और

उस मैम्बर को हाउस में बुलाने की कृपा करें। यह अच्छी प्रथा रहेगी और अच्छी प्रथा डालनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अगर उत्तेजना में उसने कोई बात कह दी है तो उसकी तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं इसलिए मेहरबानी करके उनको बुला लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप नोटिस पढ़ें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन के बारे में हां या न का जवाब तो दें दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : * * * * * * *

वाक-आऊट

चौ0 जय प्रकाश : आप मेरी बात नहीं सुन रहे इसलिए मैं वाक आऊट करता हूं।

(रिटायर्ड) आई0जी0 श्री शेर सिंह : * * * * आप मेरी बात नहीं सुन रहे इसलिए मैं वाक आऊट करता हूं।

चौधरी भजन लाल : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो मैम्बर बिना परमीशन के बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री जय प्रकाश बरवाला और शेर सिंह एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए।)

विभिन्न मामले उठाना तथा कैप्टन अजय सिंह यादव के निलम्बन को वापिस लेने के लिए अनुरोध करना (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठें। हुड्डा साहब, आप लीडर आफ दि अपोजीशन हैं, आपके कालिंग अटैंशन लगे हुए हैं, आपके एम0एल0एज0 आपको बताए बिना वाक आउट कर गए, हाउस की प्रोसीडिंग चलने नहीं देते, आपको बोलने का मौका नहीं देते। आपने नोटिस दिए हैं, आप उन पर चर्चा करवाएं, कल भी ये चले गए और आज भी चले गए, यह इनका आचरण अच्छा नहीं लगता। (शोर एवं व्यवधान) और कोई तकलीफ सरकार को किसी से नहीं है। हुड्डा साहब, आप अपना नोटिस पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, कल आपने हमारे माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह को सदन से पूरे सैशन के लिए सस्पैंड कर दिया, पहले आप उनको तो हाउस में आने की इजाजत दें क्योंकि यह कालिंग अटैंशन मोशन उनकी तरफ से भी दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी पार्टी का प्रधान भी खड़ा है और आप भी खड़े हैं लेकिन आपके सदस्य हाउस से बाहर चले गये। (शोर एवं व्यवधान) इस समय आप दोनों अपनी पोजीशन देखें। कृपा करके आप अपने मेम्बरान को सम्भालें। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप अपना नोटिस पढ़ें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आपने हमारे एक वरिष्ठ सदस्य को कल सस्पैंड कर दिया । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You should maintain discipline in your own party.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, पहले आप कैप्टन साहब को हाउस में आने की इजाजत दें। यदि आप कैप्टन साहब को हाउस में आने की इजाजत नहीं देंगे तो हम वाक आऊट कर जायेंगे और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्ण सिंह दलाल एक बहुत ही अहम मुद्दा कल से उठा रहा है लेकिन आप उसे बोलने नहीं दे रहे। कृपा करके दलाल साहब को आप बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, कर्ण सिंह दलाल आपकी पार्टी का सदस्य नहीं है इसलिए आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का सदस्य तो नहीं है लेकिन इस हाउस का सदस्य तो है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपकी पार्टी के सदस्य आपकी और आपके अध्यक्ष की बात तो मानते नहीं हैं और आप दलाल साहब की सिफारिश कर रहे हैं। दलाल साहब जब आपकी पार्टी में आ जाये तब आप इनके बारे में कहना । सदन मैरिट के हिसाब से चलता है और उसी हिसाब से मैं सदन चलाऊंगा। हुड्डा साहब, प्लीज आप अपना नोटिस पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, पहले आप कैप्टन साहब के बारे में बतायें कि उन्हें हाउस में आने दिया जायेगा या नहीं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने भी * * * * इस तरह आपके शब्द भी ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चेयर की तरफ कहे गए शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, यदि आपको कैप्टन साहब ने कुछ गलत कह दिया और आपको ठेस लगी है तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं लेकिन आप कैप्टन साहब को हाउस में आने की इजाजत दें। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी, आप ही इस बारे में कुछ कहें और कैप्टन साहब को हाउस में बुलायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आप कैप्टन साहब को हाउस में आने देंगे या नहीं इस बारे हां या ना में जवाब तो बतायें । (शोर एवं व्यवधान)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कोई रिकार्डिंग न की जाये। हुड्डा साहब पहले आप अपना नोटिस पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज सभी बैठ जायें। धर्मबीर जी मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं आप उनका मतलब समझें। मैंने गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप अपना नोटिस पढ़ें।

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री जयप्रकाश : स्पीकर सर, सारा सदन आपके व्यवहार को देख रहा है और आप एक बहुत ही अहम कुर्सी पर बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्रदेश की जनता भी आपके व्यवहार को देख रही है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप हुड्डा साहब से फिर से पूछ लें कि यह अपना प्रस्ताव पढ़ना चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अगला बिजनैस लाया जाये ताकि हाउस का समय बरबाद न हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि आप अपना प्रस्ताव पढ़ना चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम अगले बिजनैस पर कार्यवाही करेंगे ताकि सदन का समय खराब न हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर से आपसे आग्रह है कि कैप्टन साहब को सदन में बुलाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सहकारी तथा निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की अदायगी न करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र सिंह जी, प्लीज आप अपना नोटिस पढ़ें।

Shri Bhupinder Singh Hooda : I want to draw the attention of this august House on issue of great public importance regarding the non-payment of the sugarcane to the farmers by the Cooperative and Private Sugar Mills. The Chief Minister of Haryana Mr. Om Parkash Chautala has announced that the pending payment of sugarcane would be made in time. The State Government had announced that a rate of Rs. 104 per quintal, Rs. 106 per quintal and Rs. 110 per quintal depending on the variety of the sugarcane would be paid to the farmers and if in any case the payment of the sugarcane is delayed to the farmers their payment will be made at the rate of 50% interest and recently the Chief Minister announced that the payment of the sugarcane to the farmers will be made to the farmers upto 24th July, 2002, but they are sorry to apprise this august House that the arrears of payment for the purchase of sugarcane approximately Rs. 40 crore are still pending. The farmers are running from pillar to post to obtain their dues but in vain. This misery of the farmers have been aggravated due to the drought condition prevailing in the State. There is a great resentment amongst the farmers leading to protests and dharnas throughout the State.

I request the Government to make a statement on the floor of the House and clarify the stand on the non-payment of the arrears of the sugarcane growers.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैंशन मोशन था, उसका क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैंने अपना काल अटैंशन मोशन आज ही आपको दिया था।

श्री अध्यक्ष : अभी वह अन्डर कन्सीडरेशन है।

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री द्वारा

Mr. Speaker : Now the Agriculture Minister will make a statement.

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धु) : सरकार द्वारा हमेशा ही किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिये प्रयास किये गये हैं। वर्ष 1999-2000 से राज्य के किसानों को गन्ने की अगेती, मध्यम तथा पछेती किस्मों का क्रमश: मूल्य 110, 106 तथा 104 रूपये प्रति क्विंटल जो कि न्यूनतम सांविधिक मूल्य से ऊपर है, दिया जा रहा है जोकि देश में सब से अधिक है। गन्ने की उपरोक्त दर वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत सरकार द्वारा 8.5 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर निर्धारित किये गये न्यूनतम सांविधिक मूल्य 62.05 रूपये प्रति क्विंटल से कहीं अधिक है। राज्य की सभी 15 चीनी मिलों द्वारा जिनमें से 12 सहकारी क्षेत्र तथा 3 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें है, चालू सीजन के दौरान गन्ने की वही कीमत देने हेतु सहमति प्रकट की जो गत वर्ष 2000-2001 में अदा की गई थी।

चीनी मिलों द्वारा सीजन 2000-2001 के दौरान किसानों द्वारा सप्लाई किये गये उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है। पिराई सीजन 2001-2002 के दौरान राज्य की सभी 15 चीनी मिलों द्वारा 627.88 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई जिसकी कुल कीमत 660.14 करोड़ रुपये बनती है। इसमें से सहकारी चीनी मिलों द्वारा 362.22 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई जिसकी कुल कीमत 386.69 करोड़ है जब कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 265.66 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई जिसकी कुल कीमत 273.45 करोड़ रुपये बनती है। यह सत्य नहीं है कि किसानों को अभी भी लगभग 40.00 करोड़ रुपये के मूल्य का भुगतान किया जाना है। वास्तव में, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य की सहकारी चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने का पूर्ण भुगतान जोकि 386.69 करोड़ रुपये है, पहले ही अपने स्तर पर किसानों को किया जा चुका है। अब केवल निजी क्षेत्रों की तीन चीनी मिलों द्वारा दिनांक 2-9-2002 तक कुल 25.64 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जाना शेष रहता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

(रूपये करोड़ में)

क्रमांक	चीनी मिल का नाम	गन्ने का कुल मूल्य	अदा की गई राशि	बकाया राशि
1.	यमुनानगर	208.11	203.40	4.71
2.	नारायणगढ़	33.61	17.88	15.73
3.	भादसों	31.73	26.53	5.20
	कुल	**273.45**	**247.81**	**25.64**

3. राज्य सरकार द्वारा तीनों निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के प्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते रहे हैं कि किसानों के गन्ने का बकाया मूल्य शीघ्र अदा किया जाये। चीनी मिल यमुनानगर तथा मादसों द्वारा अब तक क्रमश: 98 प्रतिशत तथा 84 प्रतिशत गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। यमुनानगर चीनी मिल द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान 10-9-2002 तक कर दिया जायेगा। चीनी मिल नारायणगढ़ द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 11702 ऑफ 2002 दायर करके गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य से अधिक मूल्य के भुगतान के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। उक्त केस की सुनवाई की तिथि 27-11-2002 निश्चित की गई है। विभाग द्वारा उक्त केस की शीघ्र सुनवाई व स्थगन आदेश रद्द करवाने के लिये काफी प्रयास किये जा रहे हैं । किसानों को उनके गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान शीघ्र कराने हेतु भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विभिन्न मिलों की पिराई कब शुरू हुई, उनकी पेमैंट कब शुरू हुई, मिल कब बन्द हुई तथा 31 मार्च तक किसानों की कितनी पेमैंट हो गई थी ? इन्होंने नारायणगढ़ के बारे में कहा है कि कोर्ट का स्टे है, वह प्रोविजनल स्टे है। उसमें प्रोवाईडिड है उसमें लिखा हुआ है कि सैंट्रल गवर्नमैंट के हिसाब से पेमैंट नहीं दी हुई है, इसमें स्टे है लेकिन ऐसी कोई कण्डीशन नहीं है। जो पर्चियां उन्होंने दी उनमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमैंट ने जो एनाउंस की है वह एग्रीड है। कई किसान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐफिडैविट भी दिए हैं जिनका पहले कभी सर्वे नहीं हुआ और जिन्होंने पहली दफा ही गन्ना बोया है, उनकी भी पेमैंट नहीं हुई है। किस आधार पर यह पेमैंट रोकी हुई है और इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? बार-बार मुख्य मंत्री जी के ब्यान भी आते रहे और किसानों से उनका वायदा भी था कि 15 दिन में पेमैंट कर दी जाएगी और 15 दिन के बाद जो डिलेड पेमैंट होगी उनको इस डिलेड पेमैंट का इन्ट्रस्ट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोगों को इन्ट्रस्ट मिला है, 15 दिन से ज्यादा कितने किसानों की डिलेड पेमैंट हुई है, क्या ये इस बात को बताएंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता को आपके माध्यम से यह जानकारी करवाऊंगा कि इनकी कॉलिंग अटैंशन मोशन आने से पहले को-ऑपरेटिव शूगर मिलों की एक-एक पाई दी जा चुकी है। चूंकि ये विपक्ष के नेता हैं इसलिए इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी चीज स्पीकर साहब के रूबरू प्रस्तुत की जाए तो उससे पहले उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए और अगर नहीं है तो चौधरी भजन लाल जी से पूछ लें। चाहे ये आपस में लगते हैं लेकिन यह एक कानूनी बात है। (विघ्न) मैं तो बता ही रहा हूं । विपक्ष के नेता अगर मुझ से पूछते तो फिर शूगर मिल, मेहम के सामने धरना देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हुड्डा साहब, उस समय आपकी बहुत ही फजीती हुई थी जब शूगर मिल के कर्मचारियों और किसानों ने कहा कि हमारा कोई पैसा ही बकाया नहीं है तो फिर आप किस बात के धरने पर बैठे हैं। इनको इस बात का ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनको किस-किस बात पर क्या-क्या समझाते जाएं इनके लिए तो कोई क्लास लेने वाला आदमी होना चाहिए। हुड्डा साहब एक तरफ तो आप कहते हैं कि यह हमारा लीडर नहीं है और जब ये क्लास लेते हैं तो कादियान साहब जैसे लोग उसमें आते ही नहीं तथा बाद में फिर परामर्श करते हैं। भजन लाल जी, आप इनको बिठा कर

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

इनकी क्लास लिया करो तथा रूल्ज एण्ड रैगुलेशन्ज के हिसाब से डा0 रघुबीर सिंह जी को समझाने की कोशिश किया करें। (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपका नाम आने से कोई बात नहीं हुई। आपको कौन सी गाली मिली है, नाम ही तो आया है। अगर नाम आ गया तो क्या हो गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए आप बैठें। (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठें (विघ्न) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं और ये बीच में बोले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप इनको समझाएं। लेकिन आप में ही समझ नहीं है तो औरों को क्या समझाएंगे। (शोर एवं व्यवधान) आपका क्या अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। आपका अपने विधायकों पर कंट्रोल होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा जी जो भी कह रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप बैठेंगे तो मैं सारा बता दूंगा। लेकिन आप बैठें तो सही। अध्यक्ष महोदय, कल बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में भी हुड्डा जी तैश में आकर कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उस समय भजनलाल ने कहा था कि मैं तने छोड़न न दूंगा, एक्सपैल करूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आपने यह कहा था कि मैं तने छोड़न न दूंगा, एक्सपैल करूंगा (विघ्न) कल बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में कहा था। आपके नेता ने कहा था कि छोड़न न दूंगा, एक्सपैल करूंगा।

चौधरी भजन लाल : मैंने अम्बाला के बारे कहा था कि अगर दोषी पाया गया तो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे आगे बढ़कर भजन लाल ने यह भी कहा था कि बिश्नोई की आदत है कि जहां से उठाते हैं वहीं लाकर बिठाते हैं दोबारा। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता की बात पर न जाकर के काम की बात पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हरियाणा प्रदेश गन्ना पैदा करने में अग्रणीय प्रदेश है इसलिए हरियाणा प्रदेश के किसान गन्ना ज्यादा पैदा करते हैं क्योंकि गन्ना प्राकृतिक प्रकोप को बर्दाश्त करने वाली फसल है। इसलिए हमारी सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वह ज्यादा गन्ना पैदा करें उसके लिए ज्यादा

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

शूगर मिलें लगाई हैं और गन्ने के ज्यादा दाम दिए हैं। चूंकि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इनके सरकारी आंकड़े इनके रूबरू प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के टाईम में जब कभी भी गन्ने के भाव बढ़ने का अवसर आता था तो इन्होंने गन्ने का भाव 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाए थे। जब लोग इन दामों के बारे में विरोध करते थे तो चौधरी भजन लाल जी के मंत्रित्वकाल में लोगों पर घोड़े दौड़ाए जाते थे और उन पर ठण्डे पानी के फव्वारे छोड़े जाते थे। यह तो चौधरी देवी लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान के गन्ने के दाम निरन्तर बढ़ते चले गए और सबसे ज्यादा 110 रूपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम दिये हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की गन्ने की को-आपरेटिव शूगर मिलों का एक भी बाकी पैसा किसानों को नहीं दिया जाना है। इसी प्रकार हरियाणा में प्राइवेट शूगर मिल्ज भी हैं। उसमें सरस्वती मिल की तरफ केवल 2 प्रतिशत पैसा लोगों का बकाया है और उन्होंने सरकार से कहा है कि वे इस शनिवार को बकाया पेमैन्ट कर देंगे। इसी तरह से भादसों में भी शूगर मिल है उसका भी लगभग 85 प्रतिशत पैसा आ गया है और वे कहते हैं कि वे इस महीने के अंत तक पैसा दे देंगे। इस मामले में हम जोर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य है और उस मिल का मालिक है। हम यह इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर हम उसको कहेंगे तो बाद में ये कहेंगे कि हमारे आदमी पर बदले की भावना से मुकदमें बना रहे हो । (विघ्न) वह नारायणगढ़ में प्राईवेट मिल है और यह मामला कोर्ट मे चल रहा है। यह मामला सब-ज्यूडिश है। इस मामले में तो हुड्डा जी आप ला-ग्रेजुएट हैं और आप इनको समझा सकते हैं, यह आपके समझ की बात है और दूसरी इनकी समझ की बात है। (हंसी) कोर्ट के मामले पर यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। भादसों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि विनोद शर्मा जी की तरफ जो पैसा बाकी है वह उनको लोगों को देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर देना चाहिए अगर नहीं देंगे तो कांग्रेस की डिक्शनरी में नैतिकता शब्द ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी तो एक सोच है कि हम तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और शूगर मिल्ज लगाने की योजना भी बना रहे हैं। हमारी सरकार की तरफ किसानों का एक भी पैसा बकाया नहीं है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में आज भी लगभग 87 करोड़ रुपए बकाया हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां पर केवल एक मात्र शूगर मिल गंगानगर में ही है। वहां पर भी अभी तक गन्ने का बकाया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी गन्ने का बकाया है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, मध्य प्रदेश में तो बिजली फ्री किसानों को मिल रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जय प्रकाश, क्या आप मुझे बोलते हुए नहीं देख सकते ? आप बीच में ही क्यों बोलने लग जाते हो, जय प्रकाश, क्या आप अपनी जगह पर नहीं बैठ सकते ? (विघ्न) स्पीकर साहब जिसको अलाउ करते हैं, वहीं बोलता है जबकि आप बीच में ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, बैठिए। I warn you. अब जय प्रकाश जी की कोई बात रिकार्ड न करें। जय प्रकाश जी, बैठिए। जय प्रकाश जी, पहले आप बोलना सीखें। आप सभ्य बनें। (विघ्न) जब मौका आता है तो बोलते हैं, ऐसे ही बीच में बोलने के लिए नहीं खड़े होना चाहिए। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : स्पीकर सर * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। इस तरह से बीच में बोलने के लिए खड़े नहीं होते । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा, क्या करें ? अगर हम इसका इलाज करेंगे तो फिर ये भी कह देंगे। इस तरह से तो काम नहीं चल सकता । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, या तो हुड्डा साहब अपने मैम्बर्ज को कंट्रोल करें अन्यथा इस प्रकार से तो सदन नहीं चल पाएगा और हमें कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इस तरह से अच्छा नहीं लगता । अध्यक्ष महोदय, जब इनकी तरफ से कोई बोलता है तो हमारी तरफ से कोई भी बीच में नहीं बोलता । हमारी तरफ से कोई भी बीच में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इनके पास कहने के लिऐ कुछ होता ही नहीं है। स्पीकर सर, ये जय प्रकाश को समझाएं। अगर हुड्डा साहब का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो भजनलाल जी को लीडर बना दें मुझे पता है यह एक मिनट में उस को एक्सपेल कर देंगे। ये न तो उनको अपना लीडर मानते हैं और न ही ये उस पर कंट्रोल कर पाते हैं तो कहीं तो टिको भाई, कोई तो आदमी की सीमा होनी ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में कितने-कितने अर्से के बाद गन्ने की पेमेंट हुई है वह मैं सदन को बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1992-93 में डेढ़ वर्ष के बाद, 1993-94 में दो वर्षों के बाद, 1994-95 में एक वर्ष के बाद और 1995-96 में ढाई वर्षों के बाद गन्ने की पेमेंट हुई हैं। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के वक्त का 21 करोड़ रुपया बकाया भी मैंने बाद में दिया है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पर्सनल छींटाकंशी न करें बल्कि मैरिट के आधार पर अगर ये बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठिए। यह तो फैक्ट है इसमें आप क्या कहेंगे यह तो असलियत है। इसलिए अब आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मैरिट के आधार पर ही बता रहा हूं मैं इस बारे में सरकारी आकंड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री के पद से हटे थे या जब इनको हटा दिया गया था तो ये इस सदन से * * * * * * * हो गये थे और उसके बाद जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने इनके वक्त की बकाया 21 करोड़ रुपये की पेमेंट किसानों को दी। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये भी थोड़े दिन के बाद गायब हो जाएंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब, आप तो उस वक्त थे ही नहीं। आप उस वक्त सदन में कहां थे। आप भी उस वक्त इनके आदमी हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज भी हुड्डा साहब को इज्जत देता हूं क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं।

---

*Expunged as ordered by the Chair ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह पार्लियामैंट्री भाषा है ? (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी पर्सनल छींटाकसी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं। मुख्यमंत्री जी कोई पर्सनल छींटाकसी नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठ जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी सदन में पर्सनल छींटाकसी कर रहे हैं। ये जब भी जवाब देते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी यहां पर * * जैसी अन-पार्लियामैंट्री भाषा का यूज कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, सदन के नेता अगर यहां पर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हरियाणा के लोग क्या कहेंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के वक्त में जो गन्ने का रेट हुआ करता था वह मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा। जब जब इनकी सरकार बनी तो उस वक्त गन्ने का रेट आठ आने या एक रुपये तक बढ़ाया जाता था लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब बीच में इस प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और जब चौधरी देवीलाल उस सरकार के मुखिया बने तब उन्होंने यकलख्त गन्ने का रेट बढ़ाया था। बाद में जब बड़े पैमाने पर दल बदल करवाकर चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने फिर से गन्ने का बढ़ा हुआ रेट घटा दिया। यानी 11.00 बजे इनकी दोबारा जब सरकार बनी तब इन्होंने बढ़े हुए रेट से कम रेट कर दिया। आज आपको इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में देश के स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर गन्ने का सबसे ज्यादा दाम किसान को दिया है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठ जाएं। जब आपकी सप्लीमैंट्री का वक्त आएगा तब आप पूछ लेना है।

चौधरी भजन लाल : ठीक है अध्यक्ष महोदय।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के पक्षधर हैं कि किसान आर्थिक तौर पर सम्पन्न हो उसको उसकी उपज के दाम ज्यादा से ज्यादा मिल सकें और यदि हम गन्ने का ज्यादा भाव देंगे तो शूगर मिलें ज्यादा से ज्यादा लग सकेंगी और जब ज्यादा गन्ना काश्त होगा तो निश्चित रूप से सिंचाई के साधन भी ज्यादा उपलब्ध कराने पड़ेंगे इसलिए हरियाणा की मौजूदा सरकार को इस बात के लिए श्रेय जाता है और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं कि जिन्होंने एस0वाई0एल0 के निर्माण का फैसला हमारे पक्ष में करके किसान को राहत प्रदान की है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : एस0वाई0एल0 का जिक्र इसमें कहां से आ गया। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गन्ने की फसल के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है इसलिए इस बात को इसमें जोड़ा जा सकता है। (विघ्न)

---

*Expunged as ordered by the Chair

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जब इस बारे में बात आएगी तो फिर बताऊंगा अभी तो बात में बात जोड़ रहा हूं (शोर एवं व्यवधान) ताकि इनकी पहले ही बोलती बंद हो जाए। (शोर एवं व्यवधान) एस0वाई0एल0 का पानी आने के बाद साढ़े चार लाख एकड़ अधिक भूमि सिंचित होगी और जब पानी ज्यादा आएगा तो किसान निश्चित रूप से लाभप्रद फसल बो पाएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे । मैं फिर एक बार हाउस को आश्वासन देना चाह रहा हूं कि हम किसान की पेमेंट हाथ के हाथ देंगे कोई पैसा किसान का बाकी नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठ जाएं। पहले भजन लाल जी को सप्लीमैंट्री पूछ लेने दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा भी हक बनता है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमैंट्री एक ही बनती है। भजन लाल जी सप्लीमैंट्री पूछेंगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोर से बात कह दी कि हमारे राज मे बड़ा गन्ने का भाव बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि गन्ना किसके राज में खड़े खेतों में जलाया गया था और दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि गन्ना और आलू किस राज में खेतों से बाहर फेंका था और यह भी बता दें कि हमारे राज में गन्ने का भाव कितना बढ़ा।

विवेक उच्च विद्यालय चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का स्वागत

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके द्वारा इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस समय असैंबली की लॉबी में विवेक हाई स्कूल,चण्डीगढ़ के छात्र विधान सभा की कार्यवाही देखने आए हैं ये देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन्होंने आपसे और हमसे प्रेरणा लेनी है इसलिए संयम बनाएं रखें ताकि बच्चों पर कोई बुरा असर न पड़ जाए। मैं उन बच्चों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम आपके रास्ते की सारी बाधायें दूर करने का प्रयास करेंगे।

चौधरी भजन लाल : हम भी उनका अभिनंदन करते हैं लेकिन आप भी अपनी मर्यादा में बात करिए। हम मर्यादा में बोलते हैं । आप यह बता दें कि गन्ना कब जला था ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कांग्रेस शासन के 8 वर्षों में गन्ने के दाम में 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि हुई।

चौधरी भजन लाल : यह आप किस पीरियड की बात कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : 1967-68 की बात कर रहा हूं तब गन्ने का रेट 12.50 रुपये था (विघ्न)

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उस समय तो आप भी विधायक थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : लेकिन मैं उस समय सरकार में मंत्री नहीं था।

चौधरी भजन लाल : गन्ने के भाव बढ़ाने वाला तो मैं ही था।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बैठे-बैठे न बोलें ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप खड़े होकर बोलने नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपने बैठे-बैठे बोलना शुरू कर दिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सालों के आंकड़े सदन में बता देता हूं। 1967-68 में गन्ने का भाव 12.50 पैसे था, 1968-69 में गन्ने का भाव 7.37 पैसे था, 1969-70 में गन्ने का भाव 7.37 पैसे था, 1970-71 में गन्ने का भाव 7.37 पैसे था, 1971-72 में गन्ने का भाव 8.50 पैसे था, 1972-73 में गन्ने का भाव 12.00 रुपये था।

चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, 1972-73 में 8 रूपये से 12 रुपये मैंने किया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप कल कह रहे थे कि जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो कृषि बीमा योजना आपने शुरू की थी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय,1973-74 में गन्ने का भाव 8.19 पैसे था, 1974-75 में गन्ने का भाव 10.50 पैसे था, 1975-76 में गन्ने का भाव 13.00 रुपये था, 1982-83 में गन्ने का भाव 22.00 रुपये था, 1983-84 में गन्ने का भाव 23.00 रुपये था, 1984-85 में गन्ने का भाव 24.00 रुपये था, 1985-86 में गन्ने का भाव 27.00 रुपये था, 1986-87 में गन्ने का भाव 28.00 रुपये था, 1987-88 में गन्ने का भाव 32.00 रुपये था, 1988-89 में गन्ने का भाव 35.00 रुपये था, 1989-90 में गन्ने का भाव 40.00 रुपये था, 1990-91 में गन्ने का भाव 45.00 रुपये था, 1991-92 में गन्ने का भाव 49.00 रुपये था। गन्ने के ये सारे भाव चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय में बढ़ाये गये थे और ऐसी कोई सरकार प्रदेश में नहीं रही जिसमें चौधरी भजन लाल जी शामिल नहीं थे।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय किसानों ने अपने खेतों में गन्ना जलाया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ऐसी कोई सरकार नहीं थी जिसमें गन्ना नहीं जलाया गया हो। और ऐसी कोई सरकार नहीं जिसमें चौधरी भजनलाल जी नहीं घूसे हों।

चौधरी भजन लाल : मेरे बगैर कोई सरकार बन ही नहीं सकी । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सप्लीमैंटरी में पूछा था उस प्रश्न का तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । अगर नारायणगढ़ में किसानों के गन्ने की पेमेंट के बारे में कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो आपने पेमेंट क्यों रोक रखी है। अगर कोर्ट ने स्टे दिया है तो सरकार ने इसके बारे में क्या ऐक्शन लिया है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सप्लीमैंटरी में पूछा था उस प्रश्न का तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिये, जो हुड्डा साहब बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाये। डाक्टर साहब आप बोलिये । अगर डाक्टर नहीं बोल रहे हैं तो शादीलाल बत्तरा जी बोलें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों ने गन्ना कब जलाया इसके बारे में मुख्यमंत्री जी बतायें। (शोर)

वाक-आउटस

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं सदन के नेता को आग्रह कर चुका हूं कि उनको बुलाएं। इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करें और मुझे बताएं कि उनको बुलाया जा रहा है या नहीं । (शोर एवं व्यवधान) मैंने पहले भी कहा था कि दोनों कालिंग अटैंशन में उनका नाम है, वे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उनका नाम डिलीट कर दिया गया है, उनको सस्पैंड कर दिया गया है। डाक्टर रघुबीर सिंह जी आप बोलें, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है।

श्री रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, पहले आप कैप्टन साहब का फैसला करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाउस समूथली चल रहा था, अब आपको क्या याद आ गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया है कि कैप्टन साहब को बुलाया जाए, अगर उससे गलती से कुछ कहा गया है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कृपा करके उनको बुलाया जाए क्योंकि एक दिन का सैशन है। उसने उत्तेजना में कुछ कह दिया है तो हम खेद प्रकट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इस समय कांग्रेस के कई सदस्य अपनी-2 सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे।

श्री अध्यक्ष : जो भी सदस्य बिना परमीशन के बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री जगजीत सिंह सागवान : स्पीकर साहब, यदि उन्हें आप सदन में वापस नहीं बुलाते तो मैं भी सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगजीत सिंह सागवान सदन से वाक-आउट कर गए।)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बाहर तो बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं कि अब कि बार बताउंगा कि विपक्ष क्या होता है और अब वाक आउट करके जा रहे हैं, कल भी वाक आउट कर गए। लोगों से जाकर ये क्या कहेंगे, लोगों ने इन्हें किस लिए यहां भेजा था।

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2002-2003.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (First Instalment) 2002-2003.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Lila Krishan, Chairperson, Committee on Estimates, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment)2002-2003.

Shri Lila Krishan (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2002-2003.

वर्ष 2002-2003 अनुपूरक अनुमानों (पहली किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on Supplementary Estimates (First Instalment) 2002-2003 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand. They are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,63,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,55,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No. 20-Forest.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,26,60,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Govt.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,63,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,55,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No. 20-Forest.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,26,60,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2003 in respect of Demand No. 25-Loans and Advances by State Govt.

The motion wass carried.

वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के अनुदानों और विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 1997-98 and 1998-99.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 1997-98 and 1998-99.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess demands over Grants and Appropriations for the years 1997-98 and 1998-99 will take place. As per past pratice and in order to save the time of the House all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together . The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

वर्ष 1997-98 की मांगें

That a grant of a sum not exceeding Rs. 67,94,335/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 13,02,26,752/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,15,70,541/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,82, 635/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Other Administrative Services.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 13,78,87,559/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 45,59,68,573/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs.5,24,38,039/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,56,73,805/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 53,29,88,232/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Loan and Advances by the State Government.

वर्ष 1998-99 की मांग

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,90,64,749/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1998-99 in respect of Finance.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put various demands for the year 1997-98 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 67,94,335/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 13,02,26,752/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,15,70,541/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Excise and Taxation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,82, 635/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Other Administrative Services.

[Mr. Speaker]

That a grant of a sum not exceeding Rs. 13,78,87,559/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 45,59,68,573/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs.5,24,38,039/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 3,56,73,805/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 53,29,88,232/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1997-98 in respect of Loan and Advances by the State Government.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now I shall put the various demands for the year 1998-99 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,90,64,749/- be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1998-99 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House, is adjourned till 2.00 P.M. today.

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. today, Tuesday the *11.18 hrs. 3rd September, 2002)

ANNEXURE

Number of Proclaimed Offenders.

119. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether any criminal has been declared proclaimed offender in the State during the year 2000 and 2001, if so, the district-wise number and names thereof ?

मुख्यमंत्री, (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान् जी, वांछित सूचना पटल पर रखी जाती है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 119 का विवरण।

उद्घोषित किए गए अपराधियों की जिलावार संख्या।

(वर्ष 2000 व 2001)

क्र0सं0	जिला	उद्घोषित अपराधियों की संख्या	
		2000	2001
1.	पंचकूला	1	8
2.	अम्बाला	0	6
3.	यमुनानगर	5	6
4.	कुरुक्षेत्र	4	10
5.	कैथल	6	16
6.	हिसार	22	38
7.	सिरसा	5	26
8.	जीन्द	12	28
9.	भिवानी	3	20
10.	फतेहाबाद	0	3
11.	रोहतक	15	12
12.	सोनीपत	5	7
13.	करनाल	37	58
14.	पानीपत	25	13
15.	झज्जर	20	24
16.	गुड़गांवा	15	11
17.	फरीदाबाद	26	24
18.	नारनौल	0	7
19.	रिवाड़ी	0	1
20.	रेलवे पुलिस	26	10

टिप्पणी : — उद्घोषित अपराधियों का और विवरण देना जन-हित में नहीं है।

36128—H.V.S.—H.G.P., Chd.